


# हमारी दावत कुरआन व सुन्नत



लेखक

मौलाना मोहम्मद इकबाल किलानी

मकतबा अलाफहीम  
मऊनाथ भंजन-उ.प्र.

مکتبۃ الفہم  
بیروت



# हमारी दावत कुरआन व सुन्नत

मौ० मोहम्मद इकबाल किलानी

مکتبہ الفہیم  
منونا بھنجان پورہ

**MAKTABA AL-FAHEEM**

Raihan Market, 1st Floor, Dhobia Imli Road  
Sadar Chowk, Maunath Bhanjan - (U.P.) 275101  
Ph.: (O) 0547-2222013, Mob. 9236761926, 9889123129, 9336010224  
Email : faheembooks@gmail.com  
WWW.faheembooks.com

जुम्ला हकूक महफूज़ हैं

पुस्तक का नाम	:	हमारी दावत कुरआन व सुन्नत
लेखक	:	मौ० मोहम्मद इकबाल किलानी
अनुवाद	:	फहद खुर्शीद
कम्पोजिंग	:	अल-फहीम कम्प्युटर्स-मऊ
प्रकाशन वर्ष	:	2013
प्रकाशक	:	मकतबा अलफहीम मऊ
पेज	:	64

مکتبۃ الفہیم  
مئوٹا مکتبہ کتب خانہ یو پی

**MAKTABA AL-FAHEEM**

Raihan Market, 1st Floor, Dhobia Imli Road  
Sadar Chowk, Maunath Bhanjan - (U.P.) 275101  
Ph.: (O) 0547-2222013, Mob. 9236761926, 9889123129, 9336010224  
Email : faheembooks@gmail.com  
WWW.faheembooks.com

## तारीफी कलेमात

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ  
مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهِدْيِهِ إِلَى  
يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ﴾

जब इस्लाम की दावत का आगाज़ हुआ तो उससे वाबिस्ता होने वालों और उस पर इमान लाने वालों के लिए सिर्फ यही एक रास्ता था कि उसके दाई मोहम्मद रसूलुल्लाह (स०,अ०) से जो कुछ मिले उसे ले लें और जिस से वह रोकेँ उससे बाज़ आजाएं आगे चल कर जब आप के काम में कुछ वुसअत आई तो इस ओसूल की बार बार और मुखितलिफ अन्दाज़ से तलकीन की गई। फरमाया गया:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا  
أَعْمَالَكُمْ﴾ (محمد: ३३)

“ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और अपने आमाल को बातिल न करो। (सूरह मोहम्मद: ३३)

जब तक उम्मत इस अस्ल पर काएम रही खैर व फलाह उसके कदम चूमते रहे लेकिन उम्मत में मज़ीद वुसअत आई तो अकल पसन्दों के कई गरोह पैदा हुए, जिन्होंने अकाएद व अहकाम और ओसूल व फरूअ को अपनी अकलों से नापना और उम्मत में अपने हलके बनाना शुरू किया, नतीजा यह हुआ कि उम्मत पस्ती के गार में गिरने लगी। इमाम मालिक र० ने इस का बहुत ही खूब इलाज तजवीज़ किया था। फरमाया था:

इस उम्मत का आखिर उसी चीज़ से दुरुस्त होगा जिस से उसका अव्वल दुरुस्त हुआ यानि खालिस इत्तेबाअे किताबो सुन्नत से। अफसोस है कि आज उम्मत पर अक्ल पसंदी की वही बादे समूम चल पड़ी है और उम्मत फिर उसी पस्ती व इदबार की तरफ जा रही है और इस का इलाज वही है जो इमाम मालिक र० ने तजवीज़ फरमाया था।

खुशी की बात है कि मलिक सदद युनिवरसिटी रेयाज़ के प्रोफेसर मो० इकबाल कीलानी एक दीन पसन्द फाज़िल हैं और शुरू ही से दीनी तहरीक़त से वाबिस्ता और उनके ज़ेरे साया काम करते रहे हैं उस काम के नतीजा में उन पर यह उक्दा खुला कि उम्मत की इस्ताह का अस्ल काम यह है कि उसे खालिस किताबो सुन्नत की तालीमात से वाबिस्ता किया जाए और इधर उधर के खेयालात और फलसफियाना और अकली मू-शगाफियों में उसे उलझाया और मुब्तला न किया जाए।

उन्होंने इस काम की अन्जाम देही का बेड़ा उठाया और आम्मतुन्नास के रोज़मरह के मसाइल के तअल्लुक से खालिस किताबो सुन्नत से मालूमात जमा करनी और तरतीब देनी शुरू कीं। चुनांचह देखते देखते कई किताबें तय्यार हो गईं। और नौजवानों और तालिबाने हिदायत के लिए एक खालिस और जामे दीनी कोर्स तय्यार हो गया।

मौसूफ ने इन किताबों में मसाइल व अहकाम की दरयाफत और उनके हल केलिए जो मन्हज इख्तेयार किया है कोई शुब्हा नहीं कि यह वह वाहिद मन्हज है जिस से एख्तेलाफ की कोई गुन्जाईश नहीं। और जो बिलकुल बे खता है। यह मुम्किन है कि बाज़ मसाइल

की तहकीक में मौसूफ की निगाह मोतअददिद रिवायात में से किसी एक ही रिवायत तक महदूद रह गई हो और इस तरह उन्होंने जो नतीजा अखज़ किया हो उस से एखतेलाफ किया जाए लेकिन उनके मनहज की सलामती और दुरुस्तगी से एखतेलाफ और उसमें शक नहीं किया जासकता इस लिये उन किताबों से तकरीबन कामिल इतमीनान के साथ इस्तेफादह किया जा सकता है और उन पर मुकम्मल एतेमाद भी किया जा सकता है।

अल्लाह का करम है कि मौलाना किलानी की इन तालिफात से नौजवानों की पूरी एक जमाअत को हिदायत व रहनुमाई हासिल हुई है और वह सुन्ते रसूल (स०अ०स०) को बयान करने वाली इन किताबों को पाकर निहायत ही मुतमइन और मसखर हैं। अल्लाह इस सोखर को यौमे कियामत में भी काएम व बाकी रखे और मोअल्लिफ और मुस्तफिदीन को जज़ाए खैर से शादकाम करे। आमीन

सफीउर्रहमान मोबारकपुरी

## يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا!

### ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो!

ऐ लोगो, जो अल्लाह और उसके रसूल (स०, व०) पर ईमान लाए हो! मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो।

- वह रसूले-मोहतरम (स०, व०) जिन पर अल्लाह अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाता है।
- वह रसूले-मोहतरम (स०, व०) जिनके लिए फ़रिश्ते दुआए रहमत करते हैं।
- वह रसूले-मोहतरम (स०, व०) जिनकी उमर की क़सम अल्लाह तआला ने अपनी किताबे मुक़द्दस में उठाई हैं।
- वह रसूले-मोहतरम (स०, व०) जिनकी ज़िंदगी को अल्लाह तआला ने बेहतरीन नमूना करार दिया है।
- वह रसूले-मोहतरम (स०, व०) जिन पर ईमान लाने का वादा तमाम अंबियाए किराम से आलमे आत्मलोक में लिया गया है।
- वह रसूले-मोहतरम (स०, व०) जिन्हें अल्लाह-ताआला ने मेराजे जिस्मानी के शर्फ़ से नवाज़ा।
- वह रसूले-मोहतरम (स०, व०) जिनके बाद क़ियामत तक अब कोई दूसरा नबी आने वाला नहीं।

- वह रसूले-मोहतरम (स०, व०) जिनके खुश होने से अल्लाह तआला खुश होता है।
- वह रसूले-मोहतरम (स०, व०) जिनके नाराज़ होने से अल्लाह नाराज़ होता है।
- वह रसूले-मोहतरम (स०, व०) जिनकी आज्ञा-पालन, अल्लाह की आज्ञा-पालन है।
- वह रसूले-मोहतरम (स०, व०) जिनकी अवज्ञा, अल्लाह की अवज्ञा है।
- वह रसूले-मोहतरम (स०, व०) जिनके किसी फैसले या हुक्म से ख़गरदानी सारे नेक आमाल बर्बाद कर देते हैं।
- वह रसूले-मोहतरम (स०, व०) जिनसे आगे बढ़ने की किसी को इजाज़त नहीं।
- वह रसूले-मोहतरम (स०, व०) जिनके सामने ऊँची आवाज़ में बात करना अपनी दुनिया व आख़िरत बर्बाद करना है।
- वह रसूले-मोहतरम (स०, व०) जिनकी आज्ञा-पालन में ज़न्नत और अवज्ञा में जहन्नम है।

हम सब उसी रसूले-मोहतरम (स०, व०) की उम्मत हैं। हम सबने उसी रसूले-मोहतरम (स०, व०) का कलिमा पढ़ा है। हमारा तअल्लुक उसी रसूले-मोहतरम (स०, व०) के साथ है, तो फिर यह क्या कि हमने अलाहिदा-अलाहिदा निस्बतें कायम कर रखी हैं। अलाहिदा-अलाहिदा सम्प्रदाय और मत बना लिए हैं,



अलाहिदा-अलाहिदा नाम रख लिए हैं और फिर अपनी-अपनी निस्बत, अपने-अपने सम्प्रदाय, अपने-अपने मत और अपने-अपने नाम पर गर्व जताने में खुशी महसूस करते हैं।

ऐ लोगो! जो अल्लाह और उसके रसूल (स०,व०) पर ईमान लाने का दावा रखते हो! क्या हमारे दिल अपने-अपने पसन्दीदा मतों और तौर-तरीकों पर पत्थरों से भी ज़्यादा सख्ती से जमे हुए हैं कि सुन्नते रसूल (स०,व०) जान लेने के बावजूद हम उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं।

अल्लाह और रसूल (स०,व०) पर ईमान लाने वालो! ज़रा कान लगाकर मेरी बात तो सुनो, सहाबीए रसूल सय्यदना हज़रत अनस रज़ि० कहते हैं, रसूलुल्लाह (स०,व०) ने फ़रमाया :

(متفق عليه) مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“जिसने मेरे तरीके से मुँह मोड़ा, उसका मेरे साथ कोई तअल्लुक नहीं।” (बुखारी व मुस्लिम)

ऐ लोगो! जो ईमान लाए हो, हम सबने रसूले-मोहतरम (स०,व०) का इर्शाद मुबारक सुन लिया। आइए ज़रा सोच-विचार करें कि हमारे पास इसका क्या जवाब है?

☆☆☆

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ أَمَّا بَعْدُ! ﴿

दीन इस्लाम में रसूलुल्लाह (स०, व०) का आज्ञा पालन इसी तरह फर्ज है जिस तरह अल्लाह-तआला का आज्ञा-पालन फर्ज है। अल्लाह-तआला का इर्शाद मुबारक है:

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (النساء: ८०)

“जिसने रसूलुल्लाह (स०, व०) का आज्ञा पालन किया उसने अल्लाह का आज्ञा पालन किया।” (सूरह निसा 80)

सूरह मुहम्मद में इर्शाद है:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبْطُلُوا

أَعْمَالَكُمْ﴾ (محمد: ३३/३८)

“ऐ लोगो! जो ईमान लाये हो अल्लाह और रसूल (स०, व०) की आज्ञा का पालन करो (और मुंह मोड़कर) अपने कर्म बर्बाद न करो।” (सूरह मुहम्मद 33)

आज्ञा पालन की वजह भी खुद अल्लाह-तआला ने ही स्पष्ट फरमा दी है:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (النجم: ५३/५४)

“मुहम्मद (स०, व०) अपनी मर्जी से कोई बात नहीं करते बल्कि ‘वह्य’ जो उन पर उतारी जाती है, उसके मुताबिक बात करते हैं। (सूरह नजम 3,4)

अतएव रसूलुल्लाह (स०, व०) ने उम्मत को वजू का वही तरीका सिखाया जो अल्लाह-तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहि० के ज़रीए आप (स०, व०) को सिखाया था। नमाज़ों के वही समय निश्चित किये जो अल्लाह-तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहि० के ज़रीए आप (स०, व०) को बतलाये थे और नमाज़ का वही तरीका उम्मत को बतलाया जो अल्लाह-तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहि० के ज़रीए आप (स०, व०) को बतलाया था। रसूले-अकरम (स०, व०) के पाक जीवन से ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं कि दीनी मसाइल के बारे में जब तक अल्लाह-तआला की तरफ से ‘वह्य’ न आ जाती आप (स०, व०) सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के सवालात के जवाबत नहीं दिया करते थे।

हज़रत औस बिन सामित रज़ि० अपनी पत्नी हज़रत खौला रज़ि० से ज़िहार (बीवी को अपने ऊपर हराम कर लेना) कर बैठे, तो हज़रत खौला रज़ि० नबीए अकरम (स०, व०) की खिदमत में हाज़िर हुईं। मसला मालूम किया, तो आप (स०, व०) ने उस समय तक जवाब न दिया जब तक ‘वह्य’ नाज़िल न हुई।

रूह के बारे में आप (स०, व०) से सवाल किया गया, तो आप (स०, व०) उस समय तक खामोश रहे जब तक अल्लाह-तआला की तरफ से हज़रत जिब्रील अलैहि० जवाब लेकर न आ गए।

एक बार नबीए अकरम (स०, व०) से मीरास के बारे में सवाल किया गया, तो आप (स०, व०) ने ‘वह्य’ आने तक कोई जवाब न दिया।

एक अंसारी सेवा में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया: “ऐं

रसूलुल्लाह (स०, व०)! अगर एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ गैर मर्द को देख ले तो क्या करे? अगर मुँह से (गवाहों के बिना) बात करे, तो आप हददे-कज़फ़ लगायेंगे अगर (गुस्से में) कत्ल कर दे तो आप किसास में कत्ल करवा देंगे और अगर चुप रहे तो खुद गुस्सा होता रहेगा।” इस पर रसूलुल्लाह (स०, व०) ने दुआ फ़रमाई, या अल्लाह! इस मसले का फैसला फ़रमा। अतएव अल्लाह-तआला ने लिआन की आयत (सूरह-नूर:6-9) नाज़िल फ़रमाई। तब आप (स०, व०) ने सवाल करने वाले को जवाब दिया।

इताअते रसूल के बारे में यह बात ध्यान में रहनी चाहिए कि रसूले अकरम (स०, व०) का आज्ञा पालन केवल आप (स०, व०) की जिन्दगी तक सीमित नहीं बल्कि आप (स०, व०) की वफ़ात के बाद भी क्रियामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ करार दिया गया है।

सूरह सबा में अल्लाह-तआला फ़रमाता है:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ (سبا: 33/28)

“ऐ मुहम्मद (स०, व०) हमने आप (स०, व०) को तमाम मानव जाति के लिये बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा है।” (सूरह सबा 28)

सूरह अनआम में इर्शाद बारी तआला है:

﴿وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ (الانعام: 19/19)

“मेरी तरफ़ यह कुरआन नाज़िल किया गया है ताकि मैं इसके जरिये तुम्हें डराऊँ और उन लोगों को भी जिन तक यह कुरआन पहुँचे।” (सूरह अनआम 19)

आज्ञा पालन के बारे में सहीह बुखारी की यह हदीस बड़ी अहम है। रसूलुल्लाह (स०, व०) ने फ़रमाया:

“मेरी उम्मत के सब लोग जन्नत में जाएंगे सिवाए उस व्यक्ति

के जिसने इंकार किया।” सहाबा किराम रज़ि० ने पूछा: “इंकार किसने किया?” आप (स०, व०) ने फरमाया: “जिसने मेरी आज्ञा का पालन किया वह जन्नत में दाखिल होगा और जिसने अवैज्ञा की उसने इंकार किया।” (बुखारी)

आप (स०, व०) के आज्ञा पालन से मुंह मोड़ने की राह इख्तियार करने वालों के बारे में अल्लाह-तआला ने अपनी ज्ञात की कसम खाकर इर्शाद फरमाया है कि ऐसे लोग कभी मोमिन नहीं हो सकते।

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

(النساء: ५८)

“ऐ मुहम्मद (स०, व०) तुम्हारे रब की कसम! यह लोग कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने आपसी मामलों में तुमको फैसला करने वाला न मान लें फिर जो फैसला तुम करो उस पर अपने दिल में तंगी महसूस न करें बल्कि सर झुका दें।”

(सूरह निसा: 65)

अर्थात् रसूल का आज्ञा-पालन और ईमान पूरक हैं, आज्ञा पालन है तो ईमान भी है आज्ञा पालन नहीं तो ईमान भी नहीं। इसके बारे में कुरआनी आयात व हदीस शरीफ के अध्ययन के बाद यह फैसला करना मुश्किल नहीं कि दीन में सुन्नत के अनुसरण की हैसियत किसी आंशिक मसले की-सी नहीं बल्कि बुनियादी तकाज़ों में से एक तकाज़ा है।

**किताब व सुन्नत, अकाइद और कर्मों के मुहाफिज़ हैं:**

अकाइद और आमाल में तमामतर बिगाड़ किताब व सुन्नत

की अवहेलना करने से पैदा होता है। वहदतुल वजूद, वहदतुश शहूद, हलूल, तसव्वुरे शैख, आज्ञा पालन शैख, मकामे वलायत, बातिनी और ज़ाहिरी इल्म, मरने के बाद बुजुर्गों का सब कुछ करना, वसीला, इल्मे गैब, इस्तिम्दाद और रूहों की हाज़िरी जैसे असत्य अकाइद और रस्म फ़ातिहा, कुल, चालीसवां, कुरआन ख़्वानी, उर्स, महफिले-मीलाद और क़व्वाली जैसे ग़ैर इस्लामी अक़ीदे व आमाल उन्हीं हल्कों में मक़बूल होते हैं जहाँ किताब व सुन्नत की तालीम नहीं होती है। इसके विपरीत किताब व सुन्नत को मज़बूती से थामना तमाम असत्य अकाइद और आमाल से महफूज़ रहने का एक मात्र रास्ता है।

218 हिजरी में मामून रशीद के कार्य काल में मोतज़िला के असत्य अक़ीदे “कुरआन मख़्लूक” है को मामून रशीद ने हुकूमत के तमाम उलमा से मनवाने की कोशिश की, तो इमाम अहमद बिन हंबल रह० उस तथाकथित अक़ीदे के सामने पहाड़ बनकर खड़े हो गये। जेल में ताज़ा दम जल्लाद दो कोड़े मारकर पीछे हट जाते और इमाम से पूछा जाता “कुरआन मख़्लूक है या ग़ैर मख़्लूक?” हर बार इमाम अहमद बिन हंबल रह० की ज़बान से एक ही जवाब निकलता:

﴿اعْطُونِي شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ حَتَّى أَقُولَ بِهِ﴾

मुझे अल्लाह की किताब या सुन्नते रसूल (स०, व०) से कोई दलील ला दो तो मान लूंगा,

जरूरत और हिकमत का कोई भी मशवरा इमाम अहमद बिन हंबल रह० को रसूलुल्लाह (स०, व०) के फ़रमान:

﴿إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ اغْتَصَمْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ

وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ﴾

(तर्जुमा) मैं तुम्हारे बीच ऐसी चीज़ छोड़े जा रहा हूँ जिसे

मज़बूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे। अल्लाही की किताब और उसके नबी की सुन्नत) पर अमल करने से रोक न सका जिसका नतीजा यह निकला कि पूरा मुस्लिम समुदाय हमेशा-हमेशा के लिये इस फितने से महफूज़ हो गया। आज जबकि असत्य अकाइद और बिदअतें जंगल की आग की तरह बढ़ती और फैलती चली जा रही हैं उनसे महफूज़ रहने का केवल यही एक रास्ता है कि किताब व सुन्नत को मज़बूती से थामा जाए और लोगों में किताब व सुन्नत की दावत और प्रचार की ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था की जाए।

## किताब व सुन्नत, मुस्लिम समुदाय की एकता की मज़बूत

### बुनियाद हैं:

मुस्लिम समुदाय में एकता की ज़रूरत व महत्व किसी स्पष्टीकरण का मुहताज नहीं। साम्प्रदायिकता और गिरोहबन्दी ने दीन व दुनिया दोनों हिसाब से हमें बड़ी भारी हानि पहुँचाई है जिसे हम देश में लम्बे समय से देख रहे हैं और इस हकीकत से अवगत हैं, कि देश में सही जीवन व्यवस्था को लागू करने में दूसरी रुकावटों के अलावा एक बड़ी रुकावट गिरोहबन्दी है। अगर कभी इस्लामी व्यवस्था के लागू होने की मन्ज़िल करीब आती है तो अचानक एक तरफ से किताब व सुन्नत की बजाए किसी एक फिक्ह को लागू करने का मुतालबा शुरू हो जाता है, दूसरी तरफ से किसी दूसरी फिक्ह का मुतालबा होने लगता है जिसके नतीजे में प्रगति के बजाए निरंतर विफलता मिलती चली आ रही है। हकीकत यह है कि दीने इस्लाम को नाफिज़ करने के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशें उस समय तक बेकार साबित होंगी जब तक दीन की आवाहक जमाअतों के बीच

निष्ठा किताब व सुन्नत की बुनियाद पर एक हकीकी एकता कायम नहीं हो जाती। अल्लाह-तआला ने जहाँ कुरआन-मजीद में गिरोहबन्दी से मना फरमाया है वहीं देने खालिस अर्थात् किताब व सुन्नत पर एकत्रित होने का हुक्म भी दिया है।

सूरह आले-इमरान में अल्लाह-तआला इर्शाद फरमाता है।

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ (آل عمران: १०३)

“सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामो और फूट में न पड़ो।” (आले इमरान 103)

इस आयत में मुसलमानों को गिरोहबन्दी से मना फरमाकर हब्लुल्लाह (अर्थात् कुरआन-मजीद) पर एकत्रित रहने का हुक्म दिया गया है। कुरआन-मजीद में अल्लाह तआला ने बार-बार रसूल के आज्ञा-पालन को अनिवार्य ठहराया है जिसका साफ मतलब यह है कि अल्लाह की रस्सी, जिसे मज़बूती से थामने का हुक्म दिया गया है उसमें आपे से आप दोनों चीजें -किताब व सुन्नत- आ जाती हैं अतः कुरआन-मजीद की रौशनी में जो एकता उपेक्षित है उसकी बुनियाद किताब व सुन्नत है, किताब व सुन्नत से हटकर किसी दूसरी बुनियाद पर उम्मत में एकता न उपेक्षित है न संभवा।

शाख़े नाजुक पे जो आशियाना बनेगा वह नापायदार होगा

अगर हमने गिरोह बन्दी को अपनी ज़िन्दगी का मिशन नहीं बना लिया और मुसलमानों में एकता हमें प्रिय है तो हमें हर सूरत में किताब व सुन्नत की तरफ़ पलटना ही होगा।

## मसला तक्लीद और अदमे तक्लीद

तक्लीद और अदमे तक्लीद का मसला बहुत पुराना है। दोनों



पक्ष अपने-अपने मत के हक में बहुत से तर्क रखते हैं। हमारे निकट तक्लीद या अदमे तक्लीद के पक्ष में तर्क जमा करके एक विचार को ग़ालिब और दूसरे को पराजित करना जन सामान्य की ज़रूरत नहीं बल्कि वह नौजवान नस्ल जो स्कूलों और कॉलेजों से यह पढ़कर आती हैं कि मुसलमानों का अल्लाह एक, रसूल एक, किताब एक, किबला एक और दीन भी एक है, लेकिन व्यवहारिक जिन्दगी में मुसलमानों को कई साम्प्रदायों और जमाअतों में बटा हुआ देखती है तो उसका ज़ेहन आप से आप दीन के बारे में घृणित होने लगता है। ज़रूरत इस बात की है कि नौजवान नस्ल को बताया जाए कि जहाँ हमारा अल्लाह, रसूल, किताब, किबला और दीन सब कुछ एक है वहाँ जिन्दगी बसर करने के लिये हमारा रास्ता भी एक ही है।

वह रास्ता कौन सा है? सीधी सी बात है कि दिने इस्लाम की बुनियाद दो ही चीज़ों पर है। किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह (स०, व०)। रसूले-अकरम (स०, व०) की वफ़ाते मुबारक से पहले दीन के हवाले से हमें जो कुछ भी मिलता है उस पर ईमान लाना और अमल करना तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, और उससे किसी किस्म का मतभेद करने की कदापि कोई गुंजाइश नहीं, जबकि रसूले-अकरम (स०, व०) की वफ़ात मुबारक के बाद दीन के नाम से जो कुछ वृद्धि की गई है उस पर ईमान लाना और उस पर अमल करना मुसलमानों पर फ़र्ज़ नहीं है। सोच-विचार कीजिए जो व्यक्ति हंबली फ़िक्ह पर अमल करता है बाकी तीन फ़िक्हों को तर्क करने के बावजूद उसके ईमान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह जो व्यक्ति फ़िक्ह हन्फ़िया पर अमल करता है वह बाकी तीन फ़िक्हों पर अमल न करके भी उसी दर्जे का मुसलमान है जिस दर्जे का कोई भी मुसलमान हो

सकता है। मुस्लिम समुदाय के श्रेष्ठतम लोग अर्थात् सहाबा किराम रज़ि० प्रचलित चारों सम्प्रदाय फ़िक्हों में से किसी एक फ़िक्ह पर अमल नहीं करते थे जबकि उन्हीं के बारे में रसूले-अकरम (स०, व०) का इर्शाद मुबारक है कि सहाबा किराम रज़ि० का ज़माना सबसे बेहतर ज़माना है। (मुस्लिम-शरीफ़)

इस सारी वार्ता का सारांश यह है कि किताबुल्लाह के बाद सारी मिल्लत की संयुक्त धरोहर और तमाम मुसलमानों के ईमान व अमल का केन्द्र और परिधि केवल एक ही चीज़ है और वह है “सुन्नते रसूलुल्लाह(स०, व०)” वह चाहे इमाम अबू-हनीफ़ा रह० के ज़रीए हम तक पहुँचे या इमाम मालिक रह०, इमाम शाफ़ई रह०, इमाम अहमद बिन हंबल रह० या किसी भी दूसरे इमाम के ज़रीए। गिरोहबन्दी की बुनियाद उस समय पड़ती है जब सुन्नते रसूलुल्लाह (स०, व०) का इल्म हो जाने के बाद मात्र इसलिए उस पर अमल न किया जाए कि हमारे मत और हमारी फ़िक्ह में ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि दीन में यह तरीका सारी ख़राबियों और फ़ितनों का कारण है।

यहाँ हम पाठकों का ध्यान इसी किताब के अध्याय “सुन्नत और अइम्मए किराम रह०” की तरफ कराना चाहेंगे जिसमें विभिन्न इमामों के सुन्नत के बारे में कथन प्रस्तुत किए गए हैं। सभी इमामों ने मुसलमानों को इस बात का हुक्म दिया है कि सुन्नते सहीहा सामने आ जाने के बाद उनके कथन और राय को निःसंकोच छोड़ दिया जाए। इमाम अबू-हनीफ़ा रह० ने तो यहाँ तक फ़रमाया है “दीन में सुन्नते रसूल (स०, व०) के अलावा सब गुमराही और फ़साद है।” अगर हम वास्तव में सच्चे दिल से इमाम अबू-हनीफ़ा रह० के अनुयायी हैं तो

हमें सच्चे दिल से उनकी शिक्षाओं पर अमल करना चाहिए।

आखिर में इस बात को प्रकट करना भी मुनासिब मालूम होता है कि हमारे निकट अइम्मए किराम का इज्तिहाद और तैयार की गई फ़िक्ह अत्यन्त महत्वपूर्ण दीनी सरमाया है जिन मसाइल के बारे में कुरआन व हदीस के स्पष्ट आदेश मौजूद नहीं उन मसाइल के बारे में कुरआन व हदीस की रौशनी में किया गया इज्तिहाद चाहे इमाम अबू-हनीफ़ा रह० का हो या इमाम मालिक रह० का, इमाम शाफ़ई रह० का हो या इमाम अहमद बिन हंबल रह० का, उससे तमाम मुसलमानों को लाभ उठाना चाहिए। और यह कि आगे भी हालात के बदलते हुए तफ़ाज़ों के मुताबिक इज्तिहाद की शर्तों पर पूरे उतरने वाले फ़ुक्हा के लिए सुन्नत की रौशनी में इज्तिहाद की गुंजाइश हर समय मौजूद है और इससे लोगों को भरपूर लाभ उठाना चाहिए।

### सुन्नत का अनुसरण और आंशिक मसाइल

निःसंदेह दीन में सारे आदेश एक दर्जे के नहीं हैं बल्कि उनमें से कुछ बुनियादी हैसियत रखते हैं और कुछ आंशिक हैसियत रखते हैं। आंशिक मसाइल को बुनियाद बनाकर अलग-अलग जमाअतों या सम्प्रदाय बनाना सरासर जिहालत है लेकिन इसी के साथ यह बात भी ध्यान में रहनी चाहिए कि रसूले-अकरम (स०, व०) के तमाम आदेश चाहे वह छोटे हों या बड़े, बुनियादी हों या आंशिक, ग़ैर ज़रूरी और निरुद्देश्य नहीं हैं। रसूले अकरम (स०, व०) की कुछ सुन्नतों को फ़रोई कहकर अवहेलना करना या उनका महत्व कम करना निश्चय ही सुन्नत रसूल (स०, व०) की तौहीन है। अल्लाह और रसूल पर ईमान लाने के बाद किसी मोमिन का यह काम नहीं कि वह रसूले-अकरम (स०, व०) के किसी भी हुक्म को आंशिक कहकर अनदेखा करने की

रविश इख्तियार करे या ज़रूरी और ग़ैर ज़रूरी की बात करके जिस पर चाहे अमल करे और जिसे चाहे छोड़ दे। शरीअत में तमाम सुन्नतों पर एक साथ अमल करना मतलूब है। जो व्यक्ति कम दर्जे की सुन्नतों की पाबंदी नहीं कर सकता वह बड़े दर्जे की सुन्नतों पर अमल कैसे करेगा? कुछ संगत सलफ़ का कथन है कि “एक नेकी का बदला यह है कि अल्लाह-तआला दूसरी नेकी का सौभाग्य प्रदान कर देता है जबकि एक गुनाह की सज़ा यह है कि इंसान दूसरे गुनाह में फंस जाता है।” अतः बर्इद नहीं है कि सुन्नते रसूल (स०, व०) का सम्मान करते हुये कम दर्जे की सुन्नतों पर अमल करने वालों को अल्लाह-तआला बड़े दर्जे की सुन्नतों पर अमल करने का सौभाग्य भी प्रदान कर दे, लेकिन उसके विपरित जो लोग कम दर्जे की सुन्नतों को “आंशिक मसला” कहकर अनदेखा करने का साहस करते हैं उनसे अल्लाह-तआला बड़ी सुन्नतों पर अमल करने का सौभाग्य भी छीन ले। ऐसी हालत से हमें अल्लाह-तआला की पनाह मांगनी चाहिए।

### सुन्नत पर अमल करना रसूल की मुहब्बत का वास्तविक पैमाना

रसूले-अकरम (स०, व०) से मुहब्बत हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा बल्कि ठीक-ठीक ईमान है। स्वयं रसूले अकरम (स०, व०) ने फरमाया है।

“कोई आदमी उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी औलाद, माँ बाप और बाकी तमाम लोगों के मुकाबले में मुझ से ज़्यादा मुहब्बत न करता हो।” (बुखी व मुस्लिम)

एक सहाबी ख़िदमते अक़दस में हाज़िर हुये और अर्ज़ किया: “या रसूलल्लाह (स०, व०)! मैं आप (स०, व०) को अपनी जान व माल और घर वालों से ज़्यादा महबूब रखता हूँ जब घर में अपने बाल

बच्चों के साथ होता हूँ और शौके ज़ियारत बेकरार करता है तो दौड़ा दौड़ा हुआ आता हूँ। आप (स०,व०) का दीदार करके सुकून हासिल कर लेता हूँ। लेकिन जब मैं अपनी और आप (स०,व०) की मौत को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि आप (स०,व०) तो जन्नत में अंबिया के साथ ऊँचे दरजात में होंगे, मैं जन्नत में गया भी, तो, आप (स०,व०) तक नहीं पहुँच सकूँगा और आप (स०,व०) के दीदार से महरूम रहूँगा तो बेचैन हो जाता हूँ।” इस पर अल्लाह-तआला ने सूरह निसा की यह आयत उतारी:

﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾  
(النساء: ११/१३)

“जो लोग अल्लाह और रसूल (स०,व०) का आज्ञा पालन करेंगे वे उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनआम फरमाया है अर्थात् नबियों, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, कैसे अच्छे हैं यह साथी जो किसी को मिल जाएं।” (सूरह-निसा-4:69)

सहाबी की महब्बत के जवाब में अल्लाह-तआला ने रसूले अकरम (स०,व०) के आज्ञा पालन की आयात उतार कर यह बात स्पष्ट कर दी कि अगर तुम्हारी महब्बत सच्ची है और तुम अपने नबी (स०,व०) की स्थाई संगत हासिल करना चाहते हो तो उसका तरीका केवल यह है कि रसूले अकरम (स०,व०) का आज्ञा पालन और फरमांबरदारी करो।

सहाबए किराम रज़ि० की ज़िन्दगियों पर एक नज़र डालिए और सोचिए कि उन्होंने रसूले अकरम (स०,व०) से महब्बत का कैसे कैसे हक अदा किया। रसूले अकरम (स०,व०) की पवित्र जीवनी का

कोई एक क्षण ऐसा नहीं जिसमें उन्होंने नबी (स०, व०) के कथनों को ध्यान से सुना न हो या कर्मों को ध्यान से देखा न हो और फिर वैसे ही उन पर अमल करने की कोशिश न की हो। नबी (स०, व०) सोते और जागते कैसे थे? खाते और पीते कैसे थे? उठते और बैठते कैसे थे? मुसाफ़ा कैसे करते और गले कैसे मिलते थे, नमाज़ और रोज़ा कैसे अदा फरमाया? घरेलू और शासन की ज़िम्मेदारियां कैसे पूरी फरमाई? सहाबए किराम रज़ि० ने रसूले अकरम (स०, व०) का एक-एक अमल ध्यान से देखा और फिर आप (स०, व०) की फरमांबरदारी और आज्ञा पालन की बेहतरीन मिसालें कायम करके आप (स०, व०) से महब्बत का हक़ अदा कर दिया। अतः आप (स०, व०) से महब्बत का तकाज़ा यह है कि ज़िन्दगी के तमाम मामलों में क़दम-क़दम पर आप (स०, व०) की पैरवी और आज्ञा पालन किया जाए, वह महब्बत जो सुन्नते रसूल (स०, व०) पर अमल करना न सिखाए मात्र धोखा और झूठा है। वह महब्बत जो रसूले अकरम (स०, व०) की आज्ञा का पालन और अनुसरण न सिखाए मात्र झूठ और कपट है। वह महब्बत जो रसूले अकरम (स०, व०) की गुलामी के तरीके न सिखाए मात्र दिखावा है। वह महब्बत जो रसूले अकरम (स०, व०) की सुन्नत के निकट न ले जाए मात्र बेकार की बात व बूलहबी है।

بہ مصطفیٰ برسائے خویش را کہ دیں ہمہ اوست

اگر بہ او نہ رسیدی تمام بولہسی ست

ब मुस्तफा वरसां खेश रा कि दीन हमह ओस्त  
अगर व अू न रसीदी तमाम बूलहमीस्त

## सुन्नत का अनुसरण और मौजूअ (गढ़ी हुई) या ज़ईफ़ अहादीस का बहाना

सहीह अहादीस के साथ मौजूअ (मन-गढ़त) और ज़ईफ़ हदीसों की मिलावट के बहाने हदीस के भंडार को भरोसे योग्य न करार देकर सुन्नत से बचने की राह पैदा करना असल में इल्मे हदीस से अनभिज्ञता का नतीजा है। सोचिए कभी आप को बाज़ार से कोई दवा ख़रीदने की ज़रूरत पेश आए तो क्या आपने इस डर से कि बाज़ार में असली और नक्ली दोनों तरह की दवाएं मौजूद हैं, असली दवा ख़रीदने का इरादा छोड़ दिया है? करने का काम तो यह है कि ख़ूब छान-फटक कर या किसी डॉक्टर की मदद से असली दवा ख़रीदी जाए, न कि सिरे से ख़रीदारी का इरादा छोड़ करके मरीज़ को मौत के मुँह में जाने दिया जाए। जिस तरह तौहीद के साथ शिर्क का वजूद तौहीद पर अमल न करने का बहाना नहीं बन सकता, या नेकी के साथ बुराई का वजूद नेकी छोड़ने का बहाना नहीं बन सकता, इसी तरह सहीह हदीसों के साथ ज़ईफ़ या मौजूअ हदीसों का वजूद भी सहीह हदीसों को छोड़ने का बहाना नहीं बन सकता। करने का काम यह है कि सांसारिक मामलों की तरह दीनी मामलों में भी तहकीक़ की जाए, सहीह हदीसों को सच्चे दिल से कुबूल करके उन पर अमल किया जाये और ज़ईफ़ या मौजूअ हदीसों को तरन्त छोड़ दिया जाए।

### अहादीस के चयन का पैमाना:

कुतुबे अहादीस के क्रम (तरतीब) के आरंभ में ही हमने यह उसूल तय कर लिया था कि हदीसों का मैयारे इंतज़ाब किसी मत और सम्प्रदाय की पुष्टि या आलोचना की बुनियाद पर नहीं होगा

बल्कि हदीस की सच्चाई की बुनियाद पर होगा अर्थात् केवल सहीह या हसन दर्जे की हदीसों ही शामिल की जाएंगी। इस मैयारे इंतखाब की वजह से प्रचलित फ़िक्ही कुतुब में ज़ईफ़ हदीसों से तैयार किये गए कुछ मसाइल शामिल नहीं हो पाते जिस पर कुछ लोग यह समझते हैं कि शायद किसी मत से दिलचस्पी या दिलचस्पी न होने के कारण दूसरी हदीसों शामिल नहीं की गईं। यद्यपि ऐसा कद्यपि नहीं, हम इससे पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारी दिलचस्पी किसी मत से नहीं सुन्नते सहीहा से है। यही वजह है कि सहीह हदीस को किताब में शामिल करने या ज़ईफ़ हदीस को किताब से निकालने में हमने कभी संकोच से काम नहीं लिया।

असल में हमारे दौर की सबसे बड़ी दुखद घटना यह है कि हम पक्षपात की दुनिया में जीवन बसर कर रहे हैं, कहीं व्यक्तित्व का पक्षपात है, कहीं मत और सम्प्रदाय का पक्षपात है, कहीं जमाअत और पार्टी का पक्षपात है, कहीं ज़बान और रस्म व रिवाज का पक्षपात है, कहीं रंग व नस्ल का पक्षपात है, कहीं इलाके और वतन का पक्षपात है, सत्य और असत्य, जाइज़ और नाजाइज़ का मैयार केवल अपना और पराया है। एक बात अगर अपनी पसन्दीदा जमाअत या मत की तरफ़ से आए तो काबिले तहसीन, वही बात अगर किसी नापसन्दीदा व्यक्तित्व, जमाअत, मसलक की तरफ़ से आए तो निन्दा योग्य! उस पक्षपात की पकड़ यहाँ तक है कि प्रायः अल्लाह और रसूल (स०, व०) की बात को भी इसी छलनी से गुज़ारा जाता है।

पाठक गणों से हमारी विनती है कि कुतुबे अहादीस का अध्ययन हर किस्म के पक्षपात से ऊपर उठकर करें। कहीं ग़लती हो तो उसकी निशानदेही फ़रमाएं, लेकिन अगर सहीह हदीस कुबूल करने



में किसी मत या जमाअत या व्यक्तित्व की आस्था रोक हो तो फिर अल्लाह के यहाँ अपनी नजात के लिये कोई जवाब भी सोच रखें।

### एक ग़लत-फहमी का निवारण

हज्जतुल विदाअ के अवसर पर मैदाने अरफ़ात में खुतबा देते हुये रसूले अकरम (स०, व०) ने फ़रमाया: “मैं तुम्हारे बीच एक ऐसी चीज़ छोड़े जा रहा हूँ कि अगर उसे थामे रखोगे, तो कभी गुमराह नहीं होगे, वह है अल्लाह की किताब।”

(बहवाला हज्जतुन्नबी, अज़ अलबानी)

दूसरे अवसर पर नबी अकरम (स०, व०) ने अल्लाह की किताब के साथ सुन्नते रसूल (स०, व०) की भी वृद्धि की।

(बहवाला मुस्तदरक हाकिम)

भ्रम यह है कि जब नबीए अकरम (स०, व०) ने केवल एक चीज़ अर्थात् कुरआन-मजीद को ही गुमराही से बचने के लिये काफ़ी करार दिया है तो फिर दूसरी चीज़ अर्थात् सुन्नते रसूल (स०, व०) या हदीसे रसूल (स०, व०) (जिसमें सहीह के अलावा ज़ईफ़ और मौजूअ अहादीस भी शामिल हैं) को दीन में दाखिल करने की क्या ज़रूरत है?

हकीकत यह है कि रसूले अकरम (स०, व०) के दोनों इरशादात में कण बराबर फ़र्क या विभेद नहीं है बल्कि नतीजे के हिसाब से दोनों बातें एक ही भाव रखती हैं। निःसंदेह आप (स०, व०) ने हज्जतुल विदाअ के अवसर पर केवल कुरआन-मजीद को गुमराही से बचने की चीज़ करार दिया है लेकिन इसके साथ ही स्वयं कुरआन मजीद ने सुन्नते रसूल स०, व० (या हदीसे रसूल स०अ०) को मुसलमानों के लिए अनिवार्य करार दिया है और इसे छोड़ने को खुली

गुमराही बताया है। देखिए इसी किताब का अध्याय “सुन्नत, कुरआन मजीद की रौशनी में” अब अगर एक अवसर पर रसूले अकरम (स०, व०) ने सार के साथ केवल कुरआन-मजीद को और दूसरे अवसर पर स्पष्टीकरण के साथ कुरआन व सुन्नत दोनों को गुमराही से बचने की चीज़ करार दिया है तो उसमें विभेद या फर्क वाली कौन सी बात है? आप (स०, व०) की दोनों बातों में फर्क केवल वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो कुरआन-मजीद की शिक्षाओं से अनभिज्ञ है या फिर जिसने जानबूझ कर मुसलमानों को गुमराह करना ही अपनी ज़िन्दगी का उद्देश्य बना रख है।

### महत्वपूर्ण विनती

अन्त में हम कुरआन व सुन्नत के आवाहक गणों का ध्यान इस तरफ़ कराना चाहेंगे कि सुन्नत के अनुसरण की दावत को कुछ इबादत के मसाइल तक सीमित न रखें बल्कि यह दावत सारी की सारी ज़िन्दगी पर हावी होनी चाहिए। नमाज़ की अदाएगी में जिस तरह सुन्नत का अनुसरण चाहिए उसी तरह आचरण और किरदार में भी चाहिए। जिस तरह रोज़े और हज के मसाइल में सुन्नत के अनुसरण की ज़रूरत है उसी तरह कारोबार और आपसी लेन-देन में भी इसकी ज़रूरत है। जिस तरह सवाब पहुँचाने और क़ब्रों की ज़ियारत के मसाइल में सुन्नत की ज़रूरत है उसी तरह बुराइयों के खिलाफ़ जिहाद में भी इसकी ज़रूरत है। जिस तरह अल्लाह के हुक्म की अदाएगी में सुन्नत पर अमल चाहिए उसी तरह बन्दों के हुक्म की अदाएगी में भी सुन्नत पर अमल होना चाहिए। मानों अपनी परी की पूरी ज़िन्दगी में चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक, मस्जिद के अन्दर हो या मस्जिद के बाहर, बीवी बच्चों के साथ हो या दोस्तों के साथ हर

समय पर हर जगह सुन्नत का अनुसरण चाहिए। मात्र इबादत के कुछ मसाइल पर ध्यान देना और ज़िन्दगी के बाकी मामलों में सुन्नत के अनुसरण को नज़रअंदाज़ कर देना किसी तरह भी पसन्दीदा नहीं कहला सकता। किताब व सुन्नत के आवाहकों से हम यह भी विनती करना चाहेंगे कि सच्ची किताब व सुन्नत की दावत बड़ी तर्क संगत और साइंटिफिक दावत है आम आदमी जो हर किस्म के पक्षपात से पाक ज़ेहन रखता है वह इस दावत को बड़ी जल्दी कुबूल कर लेता है, अतः लोगों के स्वभाव और शैक्षिक योग्यता को सामने रखते हुये, हिक्मत के उसूल को कद्यपि अनदेखा न करें और यह बात कभी न भूलें कि अतिवाद की प्रक्रिया अतिवाद ही होगी। ज़िद की प्रक्रिया ज़िद ही होगी, पक्षपात की प्रक्रिया पक्षपात ही होगी। दावते दीन के मामले में नर्मी, सहन, हौसला, हुसने कलाम और खुला दिल जो नतीजे पैदा कर सकते हैं, सख्ती, कड़वी बात, तंगदिली और कमज़रफी वह नतीजे कभी पैदा नहीं कर सकते।

सुन्नत के अनुसरण जैसे महत्वपूर्ण और नाजुक विषय के मुक़ाबले में मुझे अपने अल्प-ज्ञान का बड़ी सख्ती से एहसास है इसलिए मैंने यथा संभव ज़्यादा से ज़्यादा उलमाए किराम के इल्म और तहकीक़ से लाभ की कोशिश की है। इस किताब की प्रत्यालोचन करने वाले सम्मानीय उलमाए किराम की कोशिशों को अल्लाह-तआला स्वीकार फरमाये और उनके साथ उनके माँ-बाप और उस्तादों को भी उनके अज़्र व सवाब में शामिल फरमाए। आमीन।

सुन्नत के अनुसरण से संबंधित दो महत्वपूर्ण विषय “बिदआत” और फितनए इंकारे हदीस” भी इस लेख में शामिल किए गये थे लेकिन पृष्ठों की संख्या बढ़ने के डर से परिशिष्ट की शकल में

उनका एक अलग अध्याय बना दिया गया है।

सुन्नत के अनुसरण के विषय पर इस तुच्छ कोशिश के बेहतरीन पहलुओं पर हम अपने अल्लाह-तआला के समक्ष सजदे में जाते हैं और इसमें मौजूद ग़लतियों और ख़ामियों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगारह में लज्जित और माफ़ी के प्रत्याशी।

मुहतरम वालिद हाफ़िज़ मुहम्मद इदरीस कीलानी साहब और मोहतरम हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसूफ़ साहब ने किताब का प्रत्यालोचन किया अल्लाह-तआला दोनों हज़रात की कोशिशों को कुबूल फ़रमाकर दुनिया व आखिरत में महान अज़र से नवाज़े। आमीन।

आखिर में अपने उन तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी समझता हूँ जिन्होंने किसी भी पहलू से किताब की तैयारी में हिस्सा लिया है। अल्लाह-तआला तमाम दोस्तों को दुनिया और आखिरत में अपनी अपार रहमतों और इनायतों से नवाज़े। आमीन।

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ

التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝﴾

मुहम्मद इक़बाल कीलानी अफ़ल्लाहु अन्हु

जामिआ मलिक सऊद, रियाज़

(सऊदी अरब)

## परिशिष्ट

## बिदअतें

## बिदअत की परिभाषा

हर वह अमल बिदअत कहलाएगा जो सवाब और नेकी समझ कर किया जाए, लेकिन शरीअत में उसकी कोई बुनियाद या सुबूत न हो, अर्थात न तो रसूले अकरम (स०, व०) ने स्वयं वह अमल किया हो न किसी को उसका हुक्म दिया हो और न ही किसी को उसकी इजाज़त दी हो। ऐसा अमल अल्लाह-तआला के यहाँ मर्दूद (अस्वीकार्य) है। (बहवाला बुखारी व मुस्लिम)

दीन को सबसे ज़्यादा नुक़सान पहुँचाने वाली चीज़ बिदआत हैं। बिदआत चूँकि नेकी और सवाब समझकर की जाती हैं इसलिए बिदअती उन्हें तर्क करने की कल्पना तक नहीं करता, जबकि दूसरे गुनाहों के मामले में गुनाह का एहसास मौजूद रहता है जिससे यह उम्मीद की जा सकती है कि गुनाहगार कभी न कभी अपने गुनाहों पर लज्जित होकर ज़रूर तौबा इस्तिग़फ़ार करेगा। इसी लिये हज़रत सुफियान सौरी रह० फ़रमाते हैं कि “शैतान को गुनाह के मुक़ाबले में बिदअत ज़्यादा महबूब है।”

शरीअत की निगाह में दो गुनाह ऐसे हैं जिन्हें तर्क किये बिना कोई नेक अमल कुबूल होता है न तौबा कुबूल होती है पहला शिर्क<sup>①</sup> और दूसरा बिदअत। शिर्क के बारे में रसूले अकरम (स०, व०) का इरशादे मुबारक है:

“अल्लाह-तआला बन्दे के गुनाह माफ़ करता रहता है जब तक अल्लाह और बन्दे के दर्मियान पर्दा हाइल नहीं होता।” सहाबए किराम रज़ि० ने अर्ज़ किया “या रसूलल्लाह (स०, व०) पर्दा क्या है?” आप (स०, व०) ने फरमाया “आदमी इस हाल में मरे कि शिर्क करने वाला

① शिर्क के बारे में विस्तृत बहस किताबुत्तौहीद में देखें।

हो।” (मुसनद अहमद)

बिदाअत के बारे में रसूले अकरम (स०, व०) का इरशादे मुबारक है कि “अल्लाह-तआला बिदाअती की तौबा कुबूल नहीं फरमाता जब तक कि वह बिदाअत तर्क न करे”। (तबरानी)

अर्थात् बिदाअती की सारी मेहनत और कोशिशों की मिसाल उस मज़दूर की सी है जो दिन भर मेहनत मज़दूरी करता रहे लेकिन उसे कोई मज़दूरी या पैसा न मिले सिवाए थकावट और समय की बर्बादी के।

क़ियामत के दिन जब रसूले अकरम (स०, व०) हौज़े कौसर पर अपनी उम्मत को पानी पिला रहे होंगे तो कुछ लोग हौज़े कौसर पर आएंगे जिन्हें रसूले अकरम (स०, व०) अपनी उम्मत समझेंगे लेकिन फरिश्ते आप (स०, व०) को बताएंगे कि ये वे लोग हैं जिन्होंने आप (स०, व०) के बाद बिदाआत शुरू कर दीं अतएव रसूलुल्लाह (स०, व०) फरमाएंगे:

﴿سُحْقًا سُّحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي﴾  
 “दफा और दूर हों वे लोग जिन्होंने मेरे बाद दीन को बदल डाला।” (बुखारी व मुस्लिम)

अतः वह इबादत और साधना जो सुन्नते रसूल (स०, व०) के मुताबिक न हो ज़लालत और गुमराही है। वह जिन्न और वज़ाइफ जो सुन्नते रसूल (स०, व०) से साबित न हों, बेकार और बे फायदा हैं, वह सदका और खैरात जो रसूलुल्लाह (स०, व०) के बताए हुये तरीके पर न हो अकारत और बरबाद हैं। वह मेहनत और परिश्रम जो आप (स०, व०) के हुक्म के मुताबिक नहीं वह जहन्नम का ईंधन है:

﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلِي نَارًا حَامِيَةً﴾ (النّازية: २०, २१)  
 अर्थात् “क़ियामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो अमल कर करके थके होंगे लेकिन भड़कती आग में डाल दिये जाएंगे। (सूह ग़शिया-3-4)

## बिदअतों के फैलने के मौलिक कारण

बिदअतों के महत्व को देखते हुये उन बड़े कार्यों की निशानदेही करना ज़रूरी मालूम होता है जो हमारे समाज में बिदअत की अधिकता का कारण बन रहे हैं ताकि लोग उनसे खबरदार हो सकें।

### 1. बिदअत की तक्सीम

हमारे समाज के एक बड़े वर्ग के अधिकांश अकाइद व कर्मों की बुनियाद ज़ईफ़ और मौजूअ (मन-गढ़त) रिवायतों पर है। अतएव उन्होंने अपने ग़ैर मसनून और बुरे कर्मों को दीन की सनद उपलब्ध करने के लिये बिदअत को बिदअते हसना (अच्छी बिदअत) और बिदअते सैइआ (बुरी बिदअत) में तक्सीम कर रखा है और यूँ किताब व सुन्नत की शिक्षा से अनभिज्ञ लोगों को यह बताया जाता है कि बुरी बिदअत तो वास्तव में गुनाह है लेकिन बिदअते हसना नेकी और सवाब का काम है जबकि असल हकीकत यह है कि रसूले अकरम (स०, व०) ने सभी बिदअतों को गुमराही करार दिया है।

(सहीह मुस्लिम) ﴿كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ﴾ (صحیح مسلم)

ग़ौर फरमाइए अगर नमाज़े मगरिब की दो सुन्नतों की बजाए तीन सुन्नतें पढ़ी जाएं तो क्या यह अच्छी बिदअत होगी या दीन में तब्दीली मानी जाएगी?

बात यह है कि अच्छी बिदअत के चौर दरवाजे ने दीन में बिदअतों को फैलाने और प्रचलित करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। विभिन्न मसनून इबादात के मुकाबले में ग़ैर मसनून और मनगढ़त इबादात ने जगह लेकर एक बिल्कुल नए दीन की इमारत खड़ी कर दी है। पीरी मुरीदी के नाम पर विलायत,

खिलाफत, तरीकत, सलूक, बैअत, निस्बत, इजाज़त, तवज्जुह, इनायत, फ़ैज़, करम, जलाल, आस्ताना, दरगाह, ख़ानकाह जैसी इस्तलाहात गढ़ दी गई हैं और मुराक़बा, मुजाहदा, रियाज़त, चिल्लाकशी, कश्फुल कुबूर, चिरागां, सुबूचा, चौमुक, चढ़ावे, कूंडे, झण्डे, सिमाअ, नाच, हाल, वजद और कैफ़ियत जैसी हिन्दुवाना तरह के पूजापाठ के तरीके ईजाद किये गये हैं। कब्रों पर सज्जादा-नशीन, गद्दीनशीन, मख़्डूम, जाख़ूबकश, दरवेश और मुजावर हज़रात इस मन गढ़त दीन के मुहाफ़िज़ और अलम बरदार बने हुए हैं। फ़ातिहा शरीफ़, कुल शरीफ़, दसवां शरीफ़, चालीसवां शरीफ़, ग्यारहवीं शरीफ़, नियाज़ शरीफ़, उर्स शरीफ़, मीलाद शरीफ़, ख़त्म ख़वाजगान, कुरआन ख़वानी, ज़िक्रे मल्फूज़ात और करामात नीज़ कथित औराद व वज़ाइफ़ जैसे गैर मसनून बिदई कामों को इबादत का दर्जा देकर तिलावते कुरआन, नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात तस्बीह व तहलील, ज़िक्रे इलाही और मसनून दुआएं जैसी इबादात को बेकार की चीज़ बना दिया गया है और अगर कहीं इन इबादात की धारणा बाकी रह भी गयी है तो बिदअत के ज़रीए उनकी हकीकी शक्ल व सूरत बदल दी गई है मिसाल के तौर पर इबादत के एक पहलू अज़्कार व वज़ाइफ़ ही को लीजिए और ग़ौर फ़रमाइए कि इसमें कैसे-कैसे तरीकों से कैसी-कैसी मन गढ़त बातें शामिल कर दी गई हैं जैसे:

- ☆ फ़र्ज नमाज़ों के बाद बलन्द आवाज़ से सामूहिक ज़िक्र करना।
- ☆ विशेष अंदाज़ में ऊँची आवाज़ से सामूहिक ज़िक्र के हल्के कायम करना।
- ☆ ज़िक्र करते समय अल्लाह-तआला के पाक नामों में कमी बेशी करना।
- ☆ डेढ़ लाख मर्तबा आयते करीमा के ज़िक्र के लिए महफ़िलें आयोजित करना।
- ☆ मुहर्रम की रात ज़िक्र के लिए ख़ास करना।



☆ सफ़र को अशुभ समझकर पहले बुद्ध को मग़रिब और इशा के बीच महफ़िले ज़िक्र कायम करना।

☆ 27 रजब को मेराज की रात समझकर ज़िक्र का आयोजन करना।

☆ 15 शाबान को महफ़िले ज़िक्र आयोजित करना।

☆ सय्यद अब्दुलकादिर जीलानी रह० के नामों का विर्द करना।

☆ सय्यद अब्दुलकादिर जीलानी से मंसूब हफ़ता भर के वज़ाइफ़ का आयोजन करना।

☆ दुआए गंजुल अर्श, दुआए जमीला, दुआए सुरयानी, दुआए अकाशा, दुआए हिज़्बुल बहर, दुआए अमन, दुआए हबीब, अहदनामा, दुख़द ताज, दुख़दे माही, दुख़दे तंजीना, दुख़दे अकबर, हफ़त हैकल शरीफ़, चहल काफ़, क़दह मुअज़्ज़म व मुकर्रम और शश कुफ़्त आदि जैसे वज़ाइफ़ का आयोजन करना, यह तमाम अज़कार व वज़ाइफ़ हमारे यहाँ बसों, गाड़ियों, सड़कों और आम दुकानों पर अत्यधिक कम दामों पर अधिकता से बेचे जाने वाली किताबों में लिखे होते हैं जिन्हें सीधे साधे कम पढ़े लिखे मुसलमान बड़ी अक़ीदत से ख़रीदते और सम्मान के साथ अपने पास रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर तक्लीफ़ या मुसीबत के समय इनसे लाभ उठाते हैं। अज़कार व वज़ाइफ़ के अलावा दूसरी इबादात नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात, उमरा, कुरबानी आदि की बिदअतों का मामला इससे भी कुछ क़दम आगे है जिन्दगी के बाकी मामलात पैदाइश, शादी, ब्याह, बीमारी, मौत, जनाज़ा, ज़ियारते कुबूर, ईसाले सवाब आदि की बिदअतों का सिलसिला न समाप्त होने वाला है जिसका उल्लेख एक अलग किता की उपेक्षा करता है। यूं बिदअते हसना (अच्छी बिदअत) के नाम पर आने वाली गुमराही और जिहालत के तूफ़ान ने इस्लाम का एक बिल्कुल नया,

अजमी और हिन्दुवाना मॉडल तैयार कर दिया है और यूं बिदअते हसना, बिदअतों की लम्बी सूची में दिन ब दिन वृद्धि का कारण बन रही है।

## 2. अंधा अनुसरण (अंधी तकलीद)

अनपढ़ और जाहिल लोगों की बड़ी तादाद मात्र अपने बाप दादा के अनुसरण में ग़ैर मसनून कामों और बिदअतों में फंसी हुई है और यह सोचने का कष्ट गवारा नहीं करती कि इन कामों का दीन से क्या तअल्लुक है। ऐसे लोगों की हर ज़माने में यही दलील रही है:

﴿بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ (الشعراء: 21-22)

अर्थात् “हमने अपने बाप दादा को ऐसा करते पाया अतः हम भी ऐसा ही कर रहे हैं।” (अश्शूअरा-26:74)

कुछ लोग बिगड़े हुये उलमा के अनुसरण में बिदअतों की जंजीरों में जकड़े हुये हैं। कुछ लोग अपने शासकों, जिनकी अधिक संख्या दीनी अकाइद से अनभिज्ञ और कभी कभी निराश होती है, के अनुसरण में मज़ारों पर हाज़िरी, फ़ातिहा ख्वानी, कुरआन ख्वानी, महाफिले मीलाद और बर्सियों आदि जैसी बिदअतों में शरीक हो जाते हैं कुछ लोग रस्म व रिवाज की तकलीद में बिदअतों को इख्तियार किए हुये हैं। तमाम सूरतों में इस गुमराही का असल कारण एक ही है। अंधा अनुसरण, चाहे वह बाप दादा का हो, बिगड़े हुये उलमा का हो या सियासी लीडरों का या रस्म व रिवाज का।

## 3. बुजुर्गों से अकीदत में सीमा से बढ़ जाना

बुजुर्गों से अकीदत में सीमा से बढ़ जाना हमेशा दीन में बिगाड़ का कारण बना है। अल्लाह तआला के नेक मुत्तकी और सालेह बन्दों

की संगत और महबबत न केवल जाइज़ बल्कि दीनी दृष्टिकोण से आवश्यक है, लेकिन जब यह महबबत अंधे अनुसरण का रंग इख़्तियार कर लेती है तो उन बुजुर्गों की ग़लत और ग़ैर मसनून बातें भी उनके मानने वालों को दीन का हिस्सा लगने लगती हैं और वह सवाब का काम समझकर उन पर अमल करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि उन बुजुर्गों के सपने, व्यक्तिगत तजरिबात, मुशाहदात, और हिकायात आदि सभी कुछ अकीदत की अधिकता में दीन की सनद समझ ली जाती हैं, और लोगों के सामने उन्हें दीन बनाकर पेश किया जाता है और यूं बिदर्ई, ग़ैर मसनून काम फलने-फूलने लगते हैं, कहा जाता है कि हिन्द व पाक में जब सूफियाए किराम दावते इस्लाम लेकर पहुँचे तो महसूस किया कि यहाँ की जनता (ग़ैर मुस्लिम) गाने बजाने और संगीत के बहुत शौकीन हैं अतएव सूफिया ने ज़रूरतन दावते इस्लाम के लिये गाना और क़व्वालियों का तरीका अविष्कार कर लिया। अतः बुजुर्गों को यह कार्य जब भी जाएज़ था अब भी जाएज़ है। हम समझते हैं कि सबसे पहले इस किस्म की तमाम हिकायतों मात्र अफसाना और सूफियाए किराम पर आरोप के सिवा कुछ भी नहीं, दूसरे अगर इस तरह की कोई एक आघ घटना हो भी तो किसी बड़े से बड़े बुजुर्ग या सूफी का अल्लाह और रसूल (स०, व०) के आदेशों के विपरीत कोई भी कार्य मुसलमानों के लिये दलील नहीं हो सकता, चाहे प्रत्यक्ष वह कितनी ही अच्छी हालत व ज़रूरत के तहत ही क्यों न हो। आस्था में सीमा से बढ़ जाना और बुजुर्गों और सूफियों के ग़ैर शरई कथन व कर्म का बचाव लोगों में बिदअतों के प्रचलन और प्रचार का कारण बना है।

## 4. विवादित मामलों का भ्रम

कुछ चालक प्रचालक बिदअतों को परस्पर विरोधी मसाइल कहकर जाने अनजाने रूप से समाज में बिदअतों को फैलाने की खिदमत अंजाम दे रहे हैं याद रहे परस्पर विरोधी मसाइल केवल वही हैं जिनके बारे में दोनों तरफ हदीसों की कोई न कोई दलील मौजूद हो इससे हटकर कि इसके एक तरफ सहीह हदीस हो और दूसरी तरफ ज़ईफ़, लेकिन दोनों तरफ बहरहाल कोई न कोई दलील ज़रूर मौजूद होती है। परस्पर विरोधी मसाइल की मिसाल नमाज़ में रफ़अ-यदैन या आमीन बिल जहर (ज़ोर से आमीन बोलना) आदि है लेकिन ऐसे मसाइल जिनके बारे में कोई सहीह हदीस तो अलग कोई ज़ईफ़ से ज़ईफ़ या मौजूअ हदीस भी पेश नहीं की जा सकती वह परस्पर विरोधी मसाइल कैसे कहला सकते हैं? रस्मे फ़ातिहा, रस्म कुल, दसवां, चालीसवां, ग्यारहवीं, कुरआन-ख्वानी, मीलाद, बर्सी, क़व्वाली, संदल माली, चिरागां, कूंडे झण्डे आदि ऐसे कार्य हैं, जिनका आज से एक सदी पहले कोई कल्पना तक नहीं थी। अतः इन बिदअतों को “परस्पर विरोधी मसाइल” कहकर अनदेखा करना असल में दीन में बिदअतों को प्रचलित करने की हौसला अफ़जाई करना है।

## 5. सुन्नते सहीहा से अनभिज्ञता

रसूले अकरम (स०, व०) के आदेशों पर अमल करना चूंकि हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है इसलिए बहुत से लोग रसूले अकरम (स०, व०) के नाम से मंसूब की गई हर बात को सुन्नत समझकर उस पर अमल शुरू कर देते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस बात की जांच करना ज़रूरी समझते हैं कि रसूले अकरम (स०, व०) के नाम से

संबंधित की गई बात वास्तव में आप (स०, व०) ही की है या आप (स०, व०) के नाम से ग़लत जोड़ दी गई है? लोगों की इस कमज़ोरी या अल्प ज्ञान के कारण बहुत सी बिदातों और रस्में आम हो गई हैं जिन्हें कुछ लोग नेक नीयती से दीन समझकर करते चले आ रहे हैं। हमारे इल्म में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सहीह और ज़ईफ़ हदीसों का फ़र्क स्पष्ट हो जाने के बाद ग़ैर मसून कामों को तर्क करने और मसून कामों पर अमल करने में क्षण भर संकोच नहीं किया। सहीह और ज़ईफ़ हदीसों की समझ रखने वाले लोगों पर यह भारी ज़िम्मेदारी आ जाती है कि लोगों को इस फ़र्क से अवगत करें और उन्हें बिदातों की इस दलदल से निकालने के लिए भरपूर जद्दोज़हद करें।

यहाँ हम उन भाईयों को भी एहसासे ज़िम्मेदारी दिलाना चाहते हैं जो दावते दीन का फ़रीज़ा बड़ी मेहनत और नेक नीयती से अंजाम दे रहे हैं लेकिन सहीह जांच न होने के बावजूद अपनी बात-चीत में “हदीस में आया है” या रसूले अकरम (स०, व०) ने फ़रमाया है” जैसे शब्द अधिकता से इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए रसूले अकरम (स०, व०) की तरफ़ कोई कथन संबंधित करना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी की बात है। नबीए अकरम (स०, व०) का इरशाद मुबारक है “जिसने जानबूझकर मेरी तरफ़ कोई झूठी बात मंसूब की वह अपनी जगह जहन्नम में बना ले।” (बहवाला सहीह-मुस्लिम) अतः लोगों की रहनुमाई करने वालों का फ़र्ज़ है कि वह मुकम्मल तहक़ीक़ के बाद सुन्नते सहीहा से साबितशुदा मसाइल ही लोगों को बताएं और लोगों का फ़र्ज़ यह है कि वह रसूले अकरम (स०, व०) के नाम से मंसूब की गई हर बात को सुन्नत समझकर उस समय तक न अपनाएं जब

तक उस बात का मुकम्मल इत्मीनान न कर लें कि आप (स०, व०) के नाम से मंसूब की गई बात असल में आप (स०, व०) ही का फरमान है।

## 6. सियासी मस्लेहतें

आज कल दीन के हवाले से सियासत की पुरखार वादी में देश की लग-भग तमाम काबिले ज़िक्र दीनी जमाअतें संघर्षरत हैं जो जमाअतें अपने ज्ञान के आधार पर स्वयं शिर्क व बिदअत का शिकार हैं उनका तो ज़िक्र ही क्या, अलबत्ता वे दीनी जमाअतें जो शिर्क व बिदअतों के विनाश की सहीह समझ रखने के बावजूद लोगों की नाराज़गी से बचने के लिए इस मसले पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं “अर्थात् यूं भी जाइज़ तो है लेकिन न करना ज़्यादा बेहतर है” “फ़लाँ साहब इसे नाजाइज़ समझते हैं लेकिन फ़लाँ साहब के नज़दीक यह जाइज़ है” आदि आदि। इस तरीके ने लोगों के ज़ेहनों में मसनून और ग़ैर मसनून कामों को गड-मड करके सुन्नत का महत्व बिल्कुल खत्म कर दिया है और इसके विपरीत बिदअतों के प्रचार-प्रसार का रास्ता दुरुस्त किया है। कुछ प्रचारक जो मसनदे रसूल (स०, व०) पर बैठकर शिर्क व बिदअतों की निन्दा करते थे सियासी उद्देश्यों की प्रप्ति की खातिर स्वयं शिक्रिया और बिदई कार्यों को करने लगे। कुछ उलमाए किराम जो किताब व सुन्नत के आवाहक और अलमबरदार थे सियासी मजबूरियों के नाम पर अधर्मी तत्वों की ताकत बढ़ाने का कारण बनने लगे। इसी तरह कुछ अन्य दीनी रहनुमा जो कौम को बुराइयों के खिलाफ जिहाद की दावत देते थे, स्वयं बुराइयों को कुबूल करने की प्रेरणा दिलाने लगे। सियासी ज़रूरतों के नाम पर दीनी जमाअतों और कुछ उलमाए किराम के करनी व कथनी के इस फर्क

ने शिर्क व बिदाअत के खिलाफ अतीत में किए जाने वाले लम्बे संघर्ष को बड़ी हानि पहुँचाई है।

## फितना इंकारे हदीस

इंकारे हदीस के मामले में यह बात ध्यान में रहनी चाहिए कि मुसलमानों में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष में सुन्नत रसूल (स०, व०) की शरअी हैसियत का इंकार करते हैं अलबत्ता ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो सुन्नत के वुजूब का इकरार करने के बावजूद सुन्नत से फरार की राह इख्तियार करने के लिये हदीसों पर विभिन्न कटाक्ष करके हदीस के संग्रह को संदिग्ध और भरोसा न करने योग्य ठहराने की निन्दित कोशिशों में दिन रात व्यस्त रहते हैं। हदीस के इन्कारी के कटाक्ष का अध्ययन किया जाये तो शरई आदेशों को कुबूल करने या न करने का नक्शा कुछ इस तरह सामने आता है जैसे शरई आदेशों का जुमा बाजार लगा हो और हर ग्राहक को इस बात की पूरी आजादी हासिल हो कि वह तमाम चीजों को ख़ूब ठोक बजाकर देखे और जिस जिस चीज़ को अपने स्वभाव और पसन्द के मुताबिक़ पाए उसे उठा लें और जिसे नापसन्द करे उसे नाक भौं चढ़ाकर वहीं रख दे। अतएव मुंकिरीने हदीस के यहाँ व्यवहार में यही हाल नज़र आता है कोई साहब मोजज़ा (चमत्कार) के इन्कारी हैं तो कोई साहब पाँच के बजाए दो नमाज़ों को ही काफ़ी समझते हैं, कोई साहब तीस के बजाए एक या दो रोज़े रखने से फ़र्ज़ पूरा होने के कायल हैं, तो कोई साहब हज और कुरबानी के बजाए कल्याणकारी कामों पर रक़म खर्च करना बेहतर समझते हैं कोई साहब ज़कात की दर हुकूमत की मर्ज़ी पर घटाने-बढ़ाने के कायल हैं तो कोई साहब रसूले अकरम (स०, व०) की आज्ञा-पालन को आप (स०, व०) की

पवित्र जीवनी तक ही सीमित समझते हैं कोई साहब कुरबाननी के आदेशों की टीका और तावील के लिये आधुनिक दौर के मुफ़्तियों को मस्नदे तफ़्सीर पर बिठाना चाहते हैं तो कोई साहब यह पद हुक्ूमत को प्रदान कर रहे हैं। फ़ितना इंकारे हदीस से प्रभावित और पश्चिमी विचार एवं सभ्यता व तहज़ीब से मरऊब तरक्की पसन्द दानिशवरों ने भी अपना सारा ज़ोरे क़लम और ज़ोरे बयान हदीसों को संदिग्ध और भरोसा योग्य न समझने पर खर्च कर दिया है ताकि पूर्वी समाज को भी वही नंगी आज़ादी हासिल हो जाये जो पश्चिमी समाज को हासिल है। औरतों की बेपर्दगी मर्द व औरत की मिली-जुली महफ़िलें, जीवन के हर स्थल में मर्द व औरत के समान हुक्कू गाना बजाना और अन्य अश्लीलता और बेहयाई फैलाने वाले काम और रिश्वत, सूद, जुआ, शराब और ज़िना जैसे हराम कामों को भी किसी न किसी तरह शरीअत की सनद हासिल हो जाए।

## हदीस के इमामों की सेवाओं पर एक नज़र

मुंकिरीने हदीस की आपत्तियों का अवलोकन करने से पहले हिफ़ाज़ते हदीस के लिये उलमाए हदीस की कुरबानियों, काविशों पर एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। इल्म की दुनिया में हिफ़ाज़ते हदीस एक ऐसा महान कारनामा है जिसे ग़ैर भी मानने पर मजबूर हैं। मशहूर मुस्तशरिक़ प्रोफ़ेसर मारग्रेथ का यह मानना कि “इल्मे हदीस पर मुसलमानों का गर्व करना बजा है” अकारण नहीं। मुस्तशरिक़ गोल्ड जीहर ने उलमाए हदीस की ख़िदमात का एतराफ़ इन शब्दों में किया है।

“मुहद्दिसीन ने दुनियाए इस्लाम के एक किनारे से दूसरे किनारे तक उंदलुस से मध्य एशिया तक की खाक छानी और शहर-शहर,



गाँव-गाँव, चप्पा-चप्पा का पैदल सफर किया ताकि हदीसों जमा करें और अपने शागिर्दों में फैलाएं निःसंदेह “रहहाल” (बहुत ज़्यादा सफर करने वाले) और “जव्वाल” (बहुत ज़्यादा घूमने वाले) जैसी उपाधियों के यही लोग हकदार थे।”

हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ि० ने केवल एक हदीस की जांच के लिए मदीना से मिश्र का सफर किया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि० ने एक हदीस सुनने के लिए निरंतर महीना भर का सफर किया। हज़रत मक्हूल रह० ने इल्मे हदीस हासिल करने के लिए मिश्र, शाम, हिजाज़ और इराक़ का सफर किया। इमाम राज़ी रह० फ़रमाते हैं “पहली बार हदीस की चाहत में घर से निकला तो सात साल तक सफर में रहा।” इमाम ज़हबी रह० ने इमाम बुख़ारी रह० के बारे में लिखा है कि अपने शहर बुख़ारा के उलमा से इल्मे हदीस हासिल करने के बाद इमाम बुख़ारी रह० बल्ख़ बग़दाद, मक्का, बसरा, कूफ़ा, शाम, अस्कलान, हिमस और दिमशक़ के उलमा से इल्मे हदीस हासिल किया। यहूया बिन सईद अलक़त्तान रह० ने तलबे हदीस की ख़ातिर अपने उस्ताद शोबा रह० के पास दस साल गुज़ारे, नाफ़ेअ बिन अब्दुल्लाह रह० फ़रमाते हैं “मैं इमाम मालिक रह० के पास चालीस या पैंतीस साल तक बैठा रहा रोज़ाना सुबह, दोपहर और पिछले पहर हाज़िरी देता।” इमाम जुहरी रह० फ़रमाते हैं मैंने सईद बिन मुसय्यब रह० की शागिर्दी में बीस साल गुज़ारे। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह० ने ग्यारह सौ मुहद्दिसीन से इल्मे हदीस हासिल किया। इमाम मालिक रह० ने नौ सौ उस्तादों से हदीसों हासिल कीं। हिशाम बिन अब्दुल्लाह रह० ने सत्तरह सौ मुहद्दिसीन से हदीस का ज्ञान हासिल किया। अबू नईम असबहानी रह० ने आठ सौ उलमाए

हदीस के दर्स से लाभ हासिल किया।

उलमाए हदीस ने तलबे हदीस की खातिर अपनी सारी-सारी जिंदगियां ईमान व इर्कान में इस शान से वक्फ कर रखी थी कि उस घोर संघर्ष में घर बार की सारी पूंजी लुटाने के बाद भी बड़ी से बड़ी आजमाइश उनके पाँव में डगमगाहट पैदा न कर सकी। इमाम मालिक रह० अपने उस्ताद रबीआ रह० के बारे में लिखते हैं कि इल्मे हदीस की तलाश और जुस्तुजू में उनका हाल यह हो गया था कि घर की छत की कड़ियां तक बेच डालीं और इस हाल से भी गुजरे कि ख़स व खाशाक के ढेर से खजूरों के टुकड़े चुन-चुनकर खाने पड़े। इल्मे हदीस के इमाम यहया बिन मुईन रह० के बारे में ख़तीब रह० ने यह रिवायत दर्ज की है कि यहया बिन मुईन रह० ने इल्मे हदीस हासिल करने में साढ़े दस लाख दिरहम की रकम खर्च कर डाली और नौबत यहाँ तक पहुँची कि उनके पास पाँव में पहनने के लिये जूता तक बाकी न रहा। अली बिन आसिम वासिती रह० ने तलबे हदीस में एक लाख दिरहम, इमाम ज़हबी रह० ने डेढ़ लाख, इब्ने रुस्तम रह० ने तीन लाख, हिशाम बिन अब्दुल्लाह रह० ने सात लाख दिरहम खर्च किए। इमाम बुख़ारी रह० जैसे साहिबे सरवत और लाड प्यार में परवरिश पाने वाले व्यक्ति ने तलबे हदीस की खातिर ग़रीबुल बतनी में कैसे-कैसे समय देखे इसका अंदाज़ा इमाम मौसूफ़ के हम सबक़, उमर बिन हफ़्स रह० की बयान की गई इस घटना से लगाया जा सकता है “बसरा में हम मुहम्मद बिन इस्माईल (बुख़ारी) के साथ हदीस लिखा करते थे कुछ दिनों के बाद महसूस हुआ कि बुख़ारी रह० कई दिन से दर्स में नहीं आ रहे हैं। तलाश हुई हम लोग उनके घर पहुँचे तो देखा कि एक अंधेरी कोठरी में पड़े हैं, बदन पर ऐसा लिबास नहीं जिसे

पहन कर बाहर निकल सकें। मालूम करने पर पता चला कि खर्च खत्म हो चुका है लिबास तैयार करने के लिए भी पैसे नहीं आखिर छात्रों ने मिलकर रकम जमा की, बुखारी रह० के लिए कपड़ा खरीद कर लाए तब वह हमारे साथ दर्सगाह में आने जाने लगे। इमाम अहमद बिन हंबल रह० इल्मे हदीस के हुसूल के लिए यमन आये तो इज़ारबन्द बुनते और उन्हें बेच-बेच कर अपनी ज़रूरियात पूरी करते रहे, जब फारिग होकर यमन से जाने लगे तो नानबाई के मक़रूज़ थे अतएव अपना जूता कर्ज़ में दे दिया खुद नंगे पाँव पैदल रवाना हो गए, रास्ते में ऊँटों पर बोझ लादने और उतारने वाले मज़दूरों में शरीक हो गए जो मज़दूरी मिलती उसी से गुज़ारा करते।

तलबे हदीस और इशाअते हदीस के लिए उलमाए हदीस की सख्त मेहनत व मशक्कत और कुरबानियों की दास्तान केवल उनकी दिन रात मेहनत और भूख प्यास की ज़िन्दगी पर ही खत्म नहीं हो जाती बल्कि उस राहे वफ़ा में अधिकांश मुहद्दिसीने किराम को अपने समय की जाबिर और ज़ालिम हुकूमतों के कहर व ग़ज़ब का निशाना भी बनना पड़ा। बनी उमैया के कार्य-काल में (हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को छोड़कर) मुहम्मद बिन सीरीन, हसन बसरी, उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़ेअ, यह्या बिन उबैद और इब्ने अबी कसीर रह० जैसे श्रेष्ठ मुहद्दिसीन को उमरा के अत्याचारों का निशाना बनना पड़ा। बन्ू अब्बास के कार्य-काल में इमाम मालिक बिन अनस रह० की नंगी पीठ पर कोड़े बरसाए गये। हज़रत सुफियान सौरी रह० जैसे उच्च-कोटि मुहद्दिस के कत्ल का हुक्म दिया गया। इमाम शाफ़ई रह० को गिरफ्तार करके पैदल दाख़ल-खिलाफ़ा रवाना किया गया, जहाँ वह कैद व बन्द की यातनाओं का भी शिकार रहे। इमाम अहमद बिन

हंबल रह० ने किताब व सुन्नत की खातिर जो भयानक सितम उठाए वह तारिखे इस्लाम का बड़ा ही शिक्षाप्रद अध्ययन है। इमाम अबू हनीफ़ा रह० का जनाज़ा जेल की तंग व अंधेरी कोठरी से उठा। अल्लाह-तआला की करोड़हा करोड़ रहमतें नाज़िल हों उन पाकबाज़ हस्तियों पर जिन्होंने हालात की सारी सितम रानियों के बावजूद हदीसे रसूल (स०, व०) की शमा को हर ज़माने की तेज़ आंधियों से महफूज़ रखने का हक़ अदा किया।

इन जानी व वित्तीय कुरबानियों के साथ-साथ उलमाए हदीस के इल्मी कारनामे भी सामने रहने चाहिए, हदीसे रसूल (स०, व०) को कुबूल करने के मामले में सावधानी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ रज़ि० और हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि० गवाही के बिना किसी की हदीस कुबूल नहीं फ़रमाते थे। हज़रत अली रज़ि० रावीए हदीस से क़सम लिया करते थे। हज़रत उसमान रज़ि० सावधानी हेतु हदीसों से कम बयान फ़रमाते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० हदीस बयान फ़रमाते तो ज़िम्मेदारी के एहसास से उनके चेहरे का रंग बदल जाता, हज़रत उनस रज़ि० सावधानी हेतु हदीस बयान करने के बाद “अव कमा क़ाल” (या जैसे रसूलुल्लाह स०, व० ने फ़रमाया) के शब्द अदा फ़रमाते। जब सहाबए किराम रज़ि० को मामूली सा सन्देह गुज़रता कि बुढ़ापे के कारण उनका हाफ़िज़ा कमज़ोर हो गया है तो वह हदीसों से बयान करना छोड़ देते। हज़रत जैद बिन अरक़म रज़ि० से उनके बुढ़ापे के ज़माने में हदीस सुनाने को कहा जाता तो फ़रमाते “हम बूढ़े हो चुके हैं हाफ़िज़ा कमज़ोर हो गया है। हदीसे रसूल स०, व० बयान करना बड़ा कठिन काम है।” इमाम मालिक बिन अनस रह० फ़रमाते हैं हम मदीना के

बहुत से मुहद्दिसीन को जानते हैं जो कुछ ऐसे सिका मुत्तकी और परहेज़गार लोगों से भी हदीस कुबूल न करते जिन्हें अगर बैतुलमाल का मुहाफिज़ बना दिया जाये तो एक पैसे की बेइमानी न करते। मशहूर मुहद्दिस यहया बिन सईद रह० का कथन है कि “हम बहुत से लोगों पर दिरहम व दीनार का एतेबार करने को तैयार हैं लेकिन उनकी रिवायत की गई अहादीस कुबूल नहीं कर सकते। मुहद्दिस मुईन बिन ईसा रह० फरमाते हैं “मैंने इमाम मालिक रह० से जो हदीसों रिवायत की हैं उनमें से एक-एक हदीस तीस-तीस बार सुनी हैं।” मुहद्दिस इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह अलहरवी रह० फरमाते हैं “मैं अपने उस्ताद हुशैम रह० से जो हदीसों रिवायत करता हूँ उन्हें कम से कम तीस-तीस बार सुना है। मशहूर मुहद्दिस इब्राहीम बिन सईद अलजोहरी रह० फरमाते हैं “मुझे जब तक एक-एक हदीस सौ-सौ तरीकों से नहीं मिलती मैं उस हदीस के बारे में अपने आपको यतीम ख्याल करता हूँ।”

अहादीस की जांच व पड़ताल के बारे में उलमाए हदीस ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं वह इस कद्र हैरान करने वाले हैं कि वर्तमान युग के “प्रगतिशील” और “बुद्धिजीवी” उनकी धूल को भी नहीं पहुँच सकते। मशहूर जर्मन मुत्तशरिक डॉक्टर स्पिंगर ने (اصابة في احوال الصحابة) (इसाबा फी अहवालिससहाबा) के अंग्रेज़ी मुकदमें में लिखा है:

कोई कौम दुनिया में ऐसी गुज़री न आज मौजूद है जिसने मुसलमानों की तरह असमाउर्रिजाल जैसी महान कला ईजाद की हो जिसकी बदौलत आज पाँच लाख आदमियों का हाल मालूम हो सकता है।”

मुहद्दिसीने किराम ने असमाउररिजाल में एक-एक रावी के

अक़ीदे, ईमान, सदाचार, परहेज़गारी, अमानत, दियानत, सच्चाई, कुव्वते हाफ़िज़ा, सूझ-बूझ को जांच की कसौटी पर परखा और किसी भी बदले की तमन्ना या मलामत के ख़ौफ़ से ऊपर रहते हुए अपनी राय को स्पष्ट किया, अहादीस गढ़ने और हदीसों में झूठ की मिलावट करने वाले लोगों के नाम अलग-अलग कर दिए। किसी हदीस में रावी ने अपनी तरफ़ से किसी शब्द की वृद्धि की तो उनकी निशानदिही की। कहीं सनद के तसलसुल में फ़र्क़ आया तो न केवल उसे स्पष्ट किया बल्कि सनद के आरंभ समापन या मध्य में विच्छेद की बुनियाद पर हदीस को अलग-अलग दर्जा दिया, वहमी और कमज़ोर हाफ़िज़ा वाले लोगों की हदीसों को अलग दर्जा दिया। कहीं रावियों के नाम उपनाम, उपाधी, बाप दादा या उस्तादों के नाम एक जैसे आए तो उसके लिए अलग उसूल गढ़ लिए इस तरह सहीह हदीसों के मामले में भी दर्जा बन्दी की गई।

أَمَرْنَا نُهَيْنَا، نَفَعُلُ أَنَّهُ مِنَ السَّنَةِ

जैसे शब्दों पर आधारित हदीसों का स्पष्टीकरण किया गया। रावियों की तादाद के हिसाब से हदीसों को अलग-अलग नाम दिये गये। सहीह लेकिन प्रत्यक्ष में आपत्तिजनक हदीसों के बारे में नियम बनाये गये, हदीसों रिवायत करते समय अ-ब-र-ना, अं-ब-अ-ना, ना-व-ल-ना, ज-क-र-लना जैसे प्रत्यक्षम में एक ही भाव के शब्द अलग-अलग अवसरों पर कैफ़ियत के लिये ख़ास किये गये। उलमाए हदीस की इल्मी काविशों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हदीस की हिफ़ाज़त के लिए उलमाए हदीस ने सौ से ज़्यादा उलूम की बुनियाद डाली जिस पर अब तक हज़ारों किताबें लिखी जा चुकी हैं।

## हदीस पर आपत्तियां

हिफाज़ते हदीस के लिये उलमाए हदीस की जानी, माली और इल्मी कोशिशों पर एक नज़र डालने के बाद अब हम अपने असल विषय “इंकारे हदीस” की तरफ़ पलटते हुए मुंकिरीने हदीस की आपत्तियों में से कुछ महत्वपूर्ण आपत्तियां यहां नकल कर रहे हैं।

1. जो हदीसें अक़ल के ख़िलाफ़ हैं वे अविश्वसनीय हैं।
2. जो हदीसें कुरआन के ख़िलाफ़ हैं वे अविश्वसनीय हैं।
3. जो हदीसें तारीख़ी तथ्यों के ख़िलाफ़ हैं वे अविश्वसनीय हैं।
4. जो हदीसें साइंसी अनुभवों और मुशाहदात के ख़िलाफ़ हैं वे अविश्वसनीय हैं।

5. हदीस रिवायत करने वाले थे तो बहरहाल इंसान ही, हर सावधानी के बावजूद ख़ता की संभावना मौजूद हैं अतः मुहद्दिसीने किराम की तहकीक़ पर पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता।

6. जिन हदीसों में नंगेपन का उल्लेख है वे अविश्वसनीय हैं।
7. सहीह हदीसों के साथ-साथ बड़ी तादाद में ज़ईफ़ और मौजू (मन-गढ़त) हदीसें इस तरह गड-मड हो गई हैं कि मुहद्दिसीन ने अपनी सूझ-बूझ के मुताबिक़ जो हदीसें कुबूल कीं वे भी विश्वास करने योग्य नहीं।

8. हदीस के इमामों में से अधिक संख्या अहले फ़ारस की है जिन्होंने ईरानी हुकूमत से मिलकर इस्लाम की हानि के लिए साज़िश की और असंख्य हदीसें गढ़ीं।

9. हदीसों का संकलन रसूले अकरम (स०,व०) की पवित्र जीवनी के दो या अढ़ाई सौ साल बाद हुई अतः उन पर विश्वास करना मुमकिन नहीं।

हदीसों पर इन तमाम आपत्तियों का विस्तार से अवलोकन करना यहाँ संभव नहीं, अतः हम यहाँ सबसे ज्यादा प्रिय और आम लोगों की ज़बान पर आने वाली आपत्तियों जो कि हदीस के संकलन के बारे में है, का पूर्ण जवाब तहरीर करने पर बस करेंगे।

## हदीस का संकलन

कहा जाता है कि हदीसों का संकलन रसूले अकरम (स०, व०) की पवित्र जीवनी के दो या अढ़ाई सौ साल बाद उस समय हुआ जब इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसई और इमाम इब्ने माजा रह० आदि ने हदीसों संग्रहित करने का काम शुरू किया अतः हदीस का संग्रह किसी तरह भी विश्वसनीय नहीं।

सबसे पहले हम यह ग़लतफहमी दूर करना ज़रूरी समझते हैं कि रसूले अकरम (स०, व०) के ज़माने अक़दस में लिखाई या किताब का रिवाज आम नहीं था और लोग केवल अपने हाफ़िज़े पर भरोसा करते थे। यहाँ हम उन सहाबए किराम के नाम दे रहे हैं जो दरबारे रिसालत के स्थाई कातिब थे। रसूले अकरम (स०, व०) उनसे ज़रूरत पड़ने पर मुख़्तलिफ़ कबाइल से सन्धि या पत्र या रुकूम के हिसाबत या सरकारी आदेश या दीनी मसाइल आदि लिखवाने का काम लिया करते थे। हर सहाबी की अलग-अलग इयूटी का उल्लेख इतिहास की किताबों में मौजूद है।

1. हज़रत ख़ालिद बिन सईद बिन अलआस रज़ि०।
2. हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ि०।
3. हज़रत हुसैन बिन नुमैर रज़ि०।
4. हज़रत जुहैम बिन सलत रज़ि०।
5. हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ि०।



6. हज़रत मुएक़ीब बिन अबी फ़ातिमा रज़ि०।
7. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अरक़म रज़ि०।
8. हज़रत अला बिन उक़बा रज़ि०।
9. हज़रत जुबैर बिन अब्बाम रज़ि०।
10. हज़रत उसमान बिन अफ़फ़ान रज़ि०।
11. हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ि०।
12. हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ि०।
13. हज़रत ज़ैद बिन साबित अंसारी रज़ि०।
14. हज़रत हंज़ला बिन रबीअ रज़ि०।
15. हज़रत अला बिन हज़रमी रज़ि०।
16. हज़रत अबान बिन सईद रज़ि०।
17. हज़रत उबई बिन काब रज़ि०।

अहदे रिसालत के कुछ अन्य सहाबा किराम रज़ि० जो बाकायदा रसूलुल्लाह (स०, व०) की ख़िदमत पर नियुक्त नहीं थे लेकिन लिखना पढ़ना जानते थे ये हैं:

1. हज़रत काब बिन मालिक रज़ि०।
2. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि०।
3. हज़रत फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब रज़ि०।
4. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि०।
5. हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत रज़ि०।
6. हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ि०।
7. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि०।
8. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि०।
9. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा रज़ि०।

10. हज़रत साद बिन उबादा रज़ि०।
11. हज़रत समुरा बिन जुंदुब रज़ि०।
12. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ि०।
13. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि०।
14. हज़रत हातिब बिन अबी बलतआ रज़ि०।
15. हज़रत अबू हुरैरा रज़ि०।
16. हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज रज़ि०।
17. हज़रत अबू राफ़ेअ रज़ि०।

रसूले अकरम (स०,व०) की विभिन्न सेवा करने के इलावा सहाबए किराम अपनी-अपनी चाहत और इच्छा के मुताबिक रसूले अकरम (स०,व०) की करनी व कथनी भी लिखते रहते थे। कुछ सहाबए किराम को स्वयं नबीए अकरम (स०,व०) ने हदीसों लिखने की इजाज़त दी। हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज रज़ि० फ़रमाते हैं कि हमने दरबारे रिसालत में अर्ज़ किया “या रसूलुल्लाह (स०,व०) हम लोग आप (स०,व०) की ज़बाने मुबारक से बहुत सी बातें सुनते हैं और उन्हें लिख लेते हैं। आप (स०,व०) का इस बारे में क्या इरशाद है?” रसूलुल्लाह (स०,व०) ने फ़रमाया “लिख लिया करो इसमें कोई हरज नहीं।” हज़रत अबू राफ़ेअ मिसरी रज़ि० ने नबीए करीम (स०,व०) से हदीसों लिखने की इजाज़त मांगी तो आप (स०,व०) ने इजाज़त प्रदान कर दी। हज़रत अनस रज़ि० फ़रमाते हैं कि एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उसे हदीसों याद नहीं रहतीं, तो नबीए अकरम (स०,व०) ने फ़रमाया कि “अपने हाथ से मदद लो।” (अर्थात् लिख लिया करो) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि० फ़रमाते हैं मैं रसूले अकरम (स०,व०) की ज़बाने मुबारक से जो कुछ सुनता, लिख लिया

करता, ताकि उससे याद कर लिया कखं। कुरैश ने मुझे ऐसा करने से मना किया और कहा कि मुहम्मद (स०, व०) इन्सान हैं, कभी गुस्से में भी बात कर देते हैं अतएव मैंने लिखना छोड़ दिया। फिर रसूले अकरम (स०, व०) की सेवा में इसका जिक्र किया तो आप (स०, व०) ने फरमाया “जो कुछ मुझ से सुनो ज़रूर लिख लिया करो, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है मेरी ज़बान से हक़ के सिवा कुछ नहीं निकलता।” हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ि० को रसूले अकरम (स०, व०) ने ख़ास तौर पर अपनी ज़रूरत के तहत विदेशी भाषा लिखने और सीखने का हुक्म दे रखा था।

यहाँ न लिखने वाली हदीस (अर्थात् कुरआन के इलावा मुझसे कोई बात न लिखो) का स्पष्टीकरण करना भी ज़रूरी मालूम होता है। कुरआन उतरने के समय रसूले अकरम (स०, व०) कुरआनी आयात के इलावा उनकी टीका व व्याख्या में जो कुछ इरशाद फ़रमाते सहाबए किराम उसे एक ही जगह लिख लेते थे। एक अवसर पर नबीए करीम (स०, व०) ने पूछा: “यह क्या लिख रहे हो?” सहाबा ने कहा: “वही जो आप (स०, व०) से सुनते हैं। “तब आप (स०, व०) ने इरशाद फ़रमाया: “ क्या अल्लाह की किताब के साथ-साथ एक और भी किताब लिखी जा रही है। अल्लाह की किताब अलग करो और उसे ख़ालिस रखो।” रसूले अकरम (स०, व०) के शब्दों से यह बात स्पष्ट हो रही है कि सहाबए किराम कुरआनी आयात और उनकी टीका (अहदीस) दोनों एक जगह लिख रहे थे जिसे आप (स०, व०) ने अलग-अलग रखने का हुक्म दिया, न यह कि हदीसों लिखने की मनाही फ़रमाई। जब कुरआन मजीद पूरी तरह हिफ़ज़ कर लिया गया

तो मनाही का हुक्म आप से आप खत्म हो गया, इस तफ्सील के बाद हम नबवी काल (11 हि० तक) में लिखने और संकलन हदीस की मिसालें पेश कर रहे हैं। याद रहे कि रसूले अकरम (स०, व०) की करनी व कथनी के इलावा वह चीजें जो आप (स०, व०) ने खुतूत, सन्धियों और सरकारी अफसरों के नाम आदेश व निर्देश की शकल में तैयार करवाएं वे सब हदीसों कहलाती हैं।

### नबवी दौर में और सहाबा रज़ि० के दौर में (110 हि० तक) में किताब व संकलन हदीस

1. किताबुस्सदका : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० फरमाते हैं कि रसूले अकरम (स०, व०) ने अपनी जिन्दगी के अन्तिम दिनों में सरकारी अफसरों को भेजने के लिये किताबुस्सदका तहरीर करवाई जिसमें जानवरों की ज़कात के मसाइल थे। (तिर्मिज़ी)

2. सहीफा अम्र बिन हज़म : रसूले अकरम (स०, व०) ने यमन के गवर्नर हज़रत अम्र बिन हज़म रज़ि० को एक सहीफा लिखवा कर भेजवाया जिसमें तिलावते कुरआन, नमाज़, ज़कात, तलाक़, गुलाम आज़ाद करना, किसास (मक्तूल का बदला), दियत (क़त्ल करने वाले का खूँ बहा) और फ़राइज़ व सुन्नत और कबीरा गुनाहों की तफ्सील दर्ज थी। (अहमद, अबू दाऊद, नसई, दार कुतनी, दारमी, हाकिम)

3. सहीफा अली : रसूले अकरम (स०, व०) ने हज़रत अली रज़ि० को एक सहीफा लिखवा कर प्रदान किया था जिसके बारे में हज़रत अली रज़ि० फरमाते थे “वल््लाह हमारे पास पढ़ने लिखने की कोई किताब नहीं सिवाए अल्लाह की किताब और इस सहीफे को” मुझे यह सहीफा रसूलुल्लाह (स०, व०) ने अता फरमाया है इसमें

ज़कात के मसाइल लिखे हैं।

(अहमद)

4. सहीफ़ा वाइल बिन हुजर : हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ि० अपने वतन हज़रे मौत जाने लगे तो नबी अकरम (स०, व०) ने उनके लिए नमाज़, ज़कात, निकाह, सूद, शराब आदि के मसाइल पर आधारित सहीफ़ा तैयार करवा के प्रदान किया। (तबरानी)

5. सहीफ़ा साद बिन उबादा : हज़रत साद बिन उबादा रज़ि० ने खुद रसूलुल्लाह (स०, व०) से हदीसों सुनकर यह सहीफ़ा मुरत्तब किया था। (तिर्मिज़ी)

6. सहीफ़ा समरा बिन जुंदुब : हज़रत समरा बिन जुंबुद रज़ि० ने यह सहीफ़ा रसूलुल्लाह (स०, व०) की पवित्र जीवनी में ही मुरत्तब फरमाया जो बाद में उनके बेटे हज़रत सलमान रज़ि० के हिस्से में आया। (हिफ़ाज़ते हदीस)

7. सहीफ़ा जाबिर बिन अब्दुल्लाह : हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि० का मुरत्तब किया हुआ यह सहीफ़ा मनासिके हज की हदीसों पर मुश्तमिल था। (मुस्लिम)

8. सहीफ़ा अनस बिन मालिक : रसूले अकरम (स०, व०) के ख़ास सेवक हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि० ने रसूले अकरम (स०, व०) से स्वयं हदीसों सुनीं और लिखीं फिर रसूलुल्लाह (स०, व०) को सुनाकर उनकी तस्दीक भी करवाई। (हाकिम)

9. सहीफ़ा अब्दुल्लाह बिन अब्बास : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० के पास हदीसों पर आधारित कई कुतुब थीं (तिर्मिज़ी) जब अब्दुल्लाह रज़ि० मर गये तो उनके पास एक ऊँट के बोझ के बराबर किताबें थीं। (इब्ने-सअद)

10. सहीफा सादिका ①: हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अलआस रज़ि० के पास हदीसों का बहुत बड़ा भंडार था जिसके बारे में वह स्वयं फ़रमाया करते थे “सादिका वह किताब है जिसे मैंने रसूलुल्लाह (स०, व०) से सीधे सुनकर लिखा है।” (दारमी)

11. सहीफा उमर बिन खत्ताब : इस सहीफा में सदाक़ात व ज़कात के आदेश मौजूद थे। इमाम मालिक रह० फ़रमाते हैं कि “मैंने हज़रत उमर रज़ि० की यह किताब स्वयं पढ़ी थी।

(मुअत्ता इमाम मालिक)

12. सहीफा उसमान : इस सहीफे में ज़कात के जुमला आदेश मौजूद थे। (बुख़ारी)

13. सहीफा अब्दुल्लाह बिन मसऊद : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० के बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान फ़रमाया करते थे कि यह सहीफा उनके वालिद ने अपने हाथ से लिखा है। (आइनए परवेज़ियत)

14. मुसनद अबू-हुरैरह : इसके नुस्खे सहाबा के दौर ही में लिखे गये, उसकी एक नक़ल हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह० के वालिद अब्दुल अज़ीज़ बिन मर्वान रह० गवर्नर मिस्त्र (मृत्यु 86 हि०) के पास मौजूद थी। (बुख़ारी)

15. खुत्बा फ़तहे मक्का : एक यमनी नागरिक अबू शाह की प्रार्थना पर रसूले अकरम (स०, व०) ने अपना पूरा खुत्बा कलम बंद करने का हुक्म दिया। (बुख़ारी)

16. रिवायात हज़रत आइशा सिदीका : हज़रत आइशा

① सय्यद अबू-बक्र ग़ज़नवी रह० की तहकीक़ के मुताबिक सहीफा सादिका में पाँच हज़ार तीन सौ चौहत्तर (5374) से अधिक हदीसों थीं याद रहे कि बुख़ारी व मुस्लिम की ग़ैर मकरर हदीसों की तादाद चार हज़ार से अधिक नहीं।

(किताबते हदीस अहदे नबवी स० व० में)

सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायात उनके शिष्य उर्वा बिन जुबैर रज़ि० ने लिखी। (दीबाचा इतिखाबे हदीस)

**17. सहीफ़ा सहीहा :** यह सहीफ़ा हज़रत अबू हु़रैरह रज़ि० ने मुरत्तब करके अपने शिष्य हम्माम बिन मुन्बबिह रह० को इमला कराया, उसमें 138 हदीसों हैं जिनका ज़्यादातर संबंध आचरण से है। यह सहीफ़ा हिन्द व पाक में प्रकाशित हो चुका है। याद रहे हज़रत अबू-हु़रैरह की मृत्यु 59 हि० में हुई जिसका मतलब है कि यह बहुमूल्य इतिहासिक पुस्तक सहाबा के दौर की सर्वश्रेष्ठ यादगार है इस सहीफ़े का एक नुस्खा जो छठी सदी में लिखा गया था प्रख्यात शोधकर्ता डा० हमीदुल्लाह साहब (पैरिस) ने दमिश्क के मक्तबा ज़ाहिरिया से मालूम किया। जबकि इस सहीफ़े का दूसरा नुस्खा जो बारहवीं सदी में लिखा गया था मौसूफ़ ही ने बर्लिन लाइब्रेरी से मालूम किया, दोनों क़लमी नुस्खों का मुकाबला करने पर मालूम हुआ कि दोनों नुस्खों की तमाम हदीसों में कोई फ़र्क नहीं। सहीफ़ा सहीहा जिसे सहीफ़ा हम्माम बिन मुन्बबिह भी कहा जाता है, कि तमाम हदीसों न केवल मुस्नद अहमद में अक्षरशः मौजूद हैं बल्कि तमाम अहादीस सिहाह सित्ता में हज़रत अबू-हु़रैरह रज़ि० के हवाले से मिलती हैं मानो सहीफ़ा सहीहा इस बात का खुला सुबूत है कि हदीसों अहदे नबवी (स०, व०) और अहदे सहाबा रज़ि० में लिखी जाती थीं और सहीफ़ा की तमाम हदीसों का मुस्नद अहमद और सिहाह सित्ता की दूसरी किताबों में उसी तरह एक ही जैसे शब्दों के साथ मौजूद होना हदीसों की सेहत का बहुत बड़ा सुबूत है।

**18. सहीफ़ा बशीर बिन नहीक :** हज़रत अबू हु़रैरह रज़ि० के एक दूसरे शिष्य बशीर बिन नहीक रह० ने मुरत्तब किया

और हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० को सुनाकर उसकी तस्दीक कराई।

(जामिअ बयानिल इल्म)

19. मक्तूबात हज़रत नाफ़ेअ : मक्तूबात हज़रत अब्दुल्लह बिन उमर रज़ि० ने इमला करवाए और हज़रत नाफ़ेअ रज़ि० ने लिखे। (दारमी)

20. ख़ुतूत व वसाइक़ : हदीसों के बाकायदा किताबी ज़ख़ीरों के इलावा आप के तहरीर करवाए हुये ख़ुतूत व वसाइक़ की तादाद सैकड़ों में है जिनमें से चन्द एक यह हैं।

1. दस्तूरी मुआहदा : हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में इस्लामी रियासत की बुनियाद रखते ही आप (स०, व०) ने मुस्लिमों और ग़ैर मुस्लिमों के अधिकारों व कर्तव्य पर आधारित 53 धाराओं का एक दस्तूरी मुआहदा तय किया जिसे तहरीर करवाया गया।

(इब्ने हिशाम)

2. सुलह हुदैबिया के बाद रसूलुल्लाह (स०, व०) ने कैसर व किसरा मक़क़स और नजाशी के इलावा बहरीन, अमान, दमिश्क, यमामा, नजद, दोमतुलजंदल और क़बीला हिमयर के हाकिमों को दावती ख़ुतूत भेजवाए। (रसूलुल्लाह सल्ल० की सियासी जिन्दगी)

3. एक लश्कर को जंग पर रवाना फ़रमाते हुए रसूलुल्लाह (स०, व०) ने लश्कर के सरदार को एक ख़त लिखवा कर दिया और फ़रमाया फ़लां जगह पर पहुँचने से पहले इसे न पढ़ा जाए, इस स्थान पर पहुँचकर लश्कर के सरदार ने ख़त खोला और लोगों को रसूलुल्लाह (स०, व०) का हुक्म पढ़कर सुनाया। (बुख़ारी)

4. दौराने हिजरत सुराक़ा बिन मालिक को परवानए अमन



लिखवाया गया।

(इब्ने-हिशाम)

5. अपने गुलाम हज़रत राफ़ेअ रज़ि० और हज़रत अलाई रज़ि० को आज़ाद करते समय तहरीरी परवानए आज़ादी इनायत फ़रमाया। (मुक़ददमा सहीफ़ा सहीहा, मुस्नद अहमद)

6. 2 हि० में कबीला बनी ज़मरा, 5 हि० में फ़राज़ा और बनी ग़तफ़ान, 6 हि० में कुरैशे मक्का और 9 हि० में उक़ैदर बिन अब्दुल-मलिक से तीरीरी मुआहदे तय किए गये।

(तबरानी, इब्ने सअद, इब्ने हिशाम, अलवसाइक)

7. यहूदे ख़ैबर को एक सहाबी के क़त्ल करने पर दियत अदा करने का तहरीरी हुक़म जारी फ़रमाया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

8. गवर्नर यमन हज़रत मुआज़ रज़ि० के लड़के की वफ़ात पर तहरीरी ताज़ियत नामा इरसाल फ़रमाया। (मुस्तदरक हाकिम)

9. हज़रत सुमामा रज़ि० को अहले मक्का के लिये ग़ल्ला न रोकने की तहरीरी हिदायत जारी फ़रमाई। (फ़तहुल बारी)

10. हज़रत बिलाल बिन हारिस मुज़नी रज़ि० को जबले कुदस के दामन में जगह देने के लिये तहरीरी हुक़म नामा जारी फ़रमाया। (अबू-दाऊद)

11. विभिन्न क़बाइल के नाम दियत के मसाइल लिखवाकर भेजवाए। (मुस्लिम)

### ताबईन के दौर (181 हि० तक) में हदीसों लिखना व संकलन

ताबईन के दौर में हदीस के इमामों की एक ऐसी जमाअत तैयार हो गई जिसने अहदे नबवी (स०, व०) और अहदे सहाबा में लिखी और जमा की गई हदीसों के साथ-साथ दूसरी हदीसों भी शामिल करके हदीसों के भारी संग्रह तैयार कर दिये। इस दौर की

कुछ तहरीरी काविशें निम्न हैं-

1. हज़रत उर्वा रज़ि० ने ग़जवात के बारे में हदीसों का संग्रह मुरत्तब किया। (तहज़ीबुत्तहज़ीब जिल्द-7)

2. हज़रत ताऊस रह० ने दियत के बारे में हदीसों जमा कीं। (बैहकी)

3. हज़रत खालिद बिन मेदान अलकुलाई रह० ने विभिन्न हदीसों जमा कीं। (तज़िकरतुल हुप्फ़ाज़ जिल्द-1)

4. हज़रत वहब बिन मुनब्बिह रज़ि० ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि० की रिवायतों का मज्मूआ तैयार किया। (तहज़ीबुत्तहज़ीब)

5. हज़रत सलमान लश्करी रह० ने भी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की हदीसों का एक संग्रह तैयार किया। (तहज़ीबुत्तहज़ीब)

6. हज़रत अबुज़्ज़िनाद रह० ने अपने उस्ताद से हलाल व हराम के मुतअल्लिक़ तमाम हदीसों तहरीरी कीं। (जामेउ बयानिल इल्म, जिल्द-1)

7. इमाम मालिक रह० ने हदीस शरीफ़ का मुस्तनद संग्रह "मुअत्ता इमाम मालिक" के नाम से मुरत्तब किया जिसे हदीस की किताबों में प्रमुख स्थान हासिल है।

8. मुहम्मद बिन मुस्लिम बिन शहाब जुहरी रह० ने छात्रावस्था में सुनन व आसारे सहाबा नोट किए। (जामेउ बयानिल इल्म, जिल्द-1)

10. हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह० ने अपने कार्यकाल (सफ़र-99 हि०-रजब 101 हि०) में हदीस के संकलन के लिए हुकूमती सहत पर व्यवस्था की, इस उद्देश्य के लिए इस्तामी राज्य के तमाम माहिर मुहदिसीन को हदीसों की जमा व संकलन का आदेश पारित किया जिसके नतीजे में हदीसों के बहुत से संग्रह राजधानी दिमश्क में पहुँच गये। उन संग्रहों की तहकीक़ व तर्तीब श्रेष्ठ ताबई और मशहूर मुहदिस मुहम्मद बिन शहाब जुहरी (मृत्यु 124 हि०) ने

की और उनकी नकलें इस्लामी राज्य के कोने-कोने में फैला दी गई।

इस ज़माने में हदीस के संकलन पर काम करने वाले दूसरे मुहद्दिसीन के असमाए गरामी (शुभ नाम) ये हैं :-

1. अब्दुलअज़ीज़ बिन जुरैज अल बसरी रह० मक्का मुकर्रमा में रहते थे 150 हि० में देहान्त हुआ।

2. मुहम्मद बिन इस्हाक रह० यमन में रहते थे। 151 हि० में मृत्यु हुई।

3. सईद बिन राशिद रह० यमन में रहते थे 153 हि० में मृत्यु हुई।

4. सईद बिन उरूबा रह० बसरा में रहते थे 156 हि० में मृत्यु हुई।

5. अब्दुर्रहमान बिन अम्र औज़ाई रह० शाम में रहते थे 157 हि० में मृत्यु हुई।

5. मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान मदीना मुनव्वरा में रहते थे 158 हि० में मृत्यु हुई।

7. रबीअ बिन सबीह रह० बसरा में रहते थे 160 हि० में मृत्यु हुई।

8. सुफियान सौरी रह० कूफा में रहते थे 161 हि० में मृत्यु हुई।

9. हम्माद बिन अबी सलमा रह० बसरा में रहते थे 167 हि० में मृत्यु हुई।

10. मालिक बिन अनस रह० मदीना मुनव्वरा में रहते थे 179 हि० में मृत्यु हुई।

11. इमाम शाबी, इमाम जुहरी, इमाम मक्हूल और काज़ी अबूबक्र हज़मी रह० की महत्वपूर्ण किताबें ताबईन के दौर ही की यादगार हैं। (हिफ़ाज़ते हदीस)

12. जामेअ सुफियान सौरी, जामेअ इब्नुल मुबारक, जामेअ इमाम औज़ाई, जामेअ इब्ने जुरैज, मुसनद अबू हनीफ़ा, किताबुल ख़िराज काज़ी अबू यूसुफ़, किताबुल आसार इमाम मुहम्मद जैसी उच्च कोटि की किताबें इसी दौर में लिखी गईं। (आईनए परवेज़ियत, हिस्सा चार)

## ताबईन के दौर के बाद

ताबईन के दौर (181 हि०) में हदीस संकलन की इन कोशिशों के बाद यह काम इतना तेज़ी से हुआ कि तीसरी सदी में केवल मुस्नद<sup>①</sup> की तर्ज़ पर मुरत्तब की गई किताबों की तादाद सौ से अधिक है। इसी मुबारक दौर में हदीस शरीफ की सबसे ज़्यादा प्रिय किताबें सुनन दारमी, सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम, सुनन अबू-दाऊद, जामेअ तिर्मिज़ी, सुनन इब्ने माजा, सुनन नसई मुरत्तब की गईं।<sup>②</sup>

उपरोक्त उल्लिखित तथ्य को देखते हुये हम पूरे विश्वास से यह कह सकते हैं कि:

☆ 1. अहादीसे सहीहा का ग़ालिब तरीन हिस्सा रसूलुल्लाह (स०, व०) के पवित्र जीवन में लिखा जा चुका था।

☆ 2. चूंकि अहदे नबवी (स०, व०) और अहदे सहाबा रज़ि० का तमाम तहरीरी सरमाया ताबईन की मुरत्तब की हुई किताबों में मौजूद है अतः हदीस लिखने और हदीस के संकलन की कोशिश में अहदे नबवी (स०, व०) से लेकर आज तक कहीं भी रुकावट पैदा नहीं हुई।

☆ 3. अहादीसे सहीहा का जो संग्रह आज हमारे पास मौजूद है वह निःसंदेह ठीक-ठीक वैसा ही एक महफूज़ और मज़बूत जंजीर की जुड़ी कड़ियों के ज़रिये रसूले अकरम (स०, व०) की ज़ात से बाद में आने वाली नस्लों में मुंतकिल हुआ है।

① मुसनद हदीस की वह किताब है जिसमें तमाम अहादीस हुरूफे तहज्जी के एतेबार से अलग अलग सहाबए किराम के नाम से तरतीब दी गई हों।

② मज़ीद तफसील के लिए मोलाहज़ा हो तदवीने हदीस अज़ मुनाज़िर अहसन गीलानी, मोकददमा इंतखाबे हदीस अज़ अब्दुल गफ़ार हसन उमरपुरी, तारीखे तदवीने हदीस अज़ डाक्टर मुहम्मद जुबैर सिद्दीकी, हिफाज़ते हदीस अज़ डाक्टर ख़ालिद अलवी, आईनए परवेज़ियत अज़ अब्दुरहमान कीलानी।

पाठक गण! अन्दाज़ा लगाइए कि रसूले अकरम (स०, व०) के दो या अंदाई सौ साल बाद हदीस के संकलन का प्रोपगंडा कितना निराधार और मन गढ़त है असल में हदीस के ख़िलाफ़ इस सारी शरारत का अस्ल उद्देश्य इन्हीं आपत्तियों के पर्दे में मुस्लिम समाज को किताब व सुन्नत की पाबन्दियों से आज़ाद कराना और मग़रिब की माता-पिता आज़ाद तहज़ीब को मुसलमानों पर थोपना है जिसमें मुनकिरीने हदीस इंशाअल्लाह कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे।

अपनी मिल्लत पर क़्यास अक़वामे मग़रिब से न कर  
ख़ास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी





# जज्जत का ब्यान

मो० इकबाल कीलानी

Page: 240



# इस्लाम पर चालीस एतिसज्जत और उनके जवाबात

डा. ज़ाकिर नायक

Page: 153



# इस्लाम में औरतों के अधिकार

डा. ज़ाकिर नायक

Page: 112

# इस्लाम आतंकवाद या भाईचारा

डा. ज़ाकिर नायक

Page: 96



# तावीज़ गंडा की हकीकत

शमीम अहमद सलफी

Page: 48 Price:25/=



# और मैं मर गया?

लेखक

मोहसिन हेजाज़ी

अनुवाद

मुस्तफा बिन अब्बास अली

Page: 56 Price:32/=

व्यक्तियों के अधिकार

# हुकूमकुलएबाद

हाफिज़ सलाहुद्दिन यूसुफ

Page: 96 Price:55/=

# इस्लाम खालिस क्या है ?



मुसलिब

मुहम्मद इस्माईल ज़र तारगर रहि०  
हैदराबाद दकन

Page: 48 Price:22/=



सैय्यदना

उमर फारुक रजि०

अशफाक अहमद खां

Page: 48 Price:25/=



सैय्यदना

अबू बकर सिद्दीक रजि०

अशफाक अहमद खां

Page: 48 Price:25/=



सैय्यदना

अली मुर्तजा रजि०

अशफाक अहमद खां

Page: 48 Price:25/=



सैय्यदना

उसमान गनी रजि०




अशफाक अहमद खां

Page: 48 Price:25/=



मक़्ताब-ए-सलफ़ सालेहीन  
के फरींग के लिये कोशिशें

हमारी अन्य अहम खूबसूरत और मालूमाती पुस्तकें



**MAKTABA AL-FAHEEM**

Raihan Market, 1st Floor, Dhobia Imli Road  
Sadar Chowk, Maunath Bhanjan - (U.P.) 275101  
Ph.: (0) 0547-2222013, Mob. 9236761926, 9889123129, 9336010224  
Email : faheembooks@gmail.com  
WWW.fatheembooks.com

₹ 40/-

